3.4

शांति के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय फोकस समूह
का
आधार पत्र

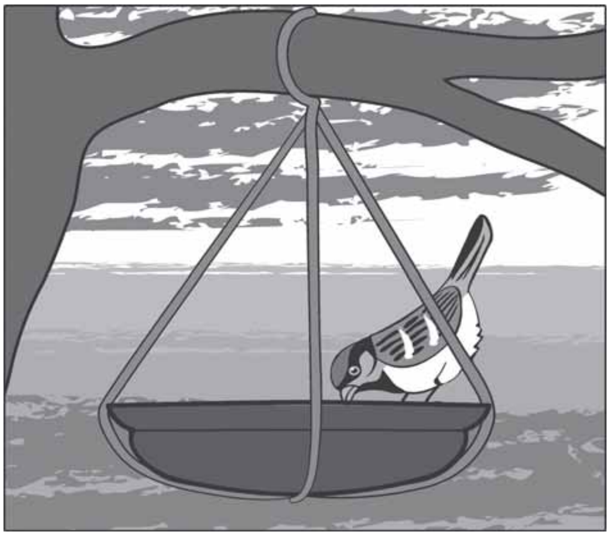

3.4

शांति के लिए शिक्षा

राष्ट्रीय फोकस समूह

का

आधार पत्र

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
जून 2010 ज्येष्ठ 1932

PD 3T NSY

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2010

रु 25.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा विजय कंप्यूटर, 1-ई, पॉकेट I, मयूर विहार, फेस-I, दिल्ली 110 091 द्वारा टाइपसेट होकर बंगाल ऑफसैट वर्क्स, 335, खजूर रोड, करोलबाग, नयी दिल्ली 110 005 द्वारा मुद्रित।

ISBN 978-93-5007-047-5

सर्वाधिकार सुरक्षित

☐ प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।

☐ इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।

☐ इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्डेकेरे हेली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग : *नीरजा शुक्ला*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *शिव कुमार*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य व्यापार प्रबंधक : *गौतम गांगुली*
संपादक : *नरेश यादव*
उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*

सज्जा एवं आवरण

श्वेता राव

सार-संक्षेप

> "अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं,तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी।"
>
> *-महात्मा गांधी*

> "सारी शिक्षा शांति के लिए ही है"
>
> *-मारिया मान्टेसरी*

पूरी विद्यालयी पाठ्यचर्या में शांति का परिदृश्य अंतर्निहित हो, ऐसा सोचने-विचारने का समय अब आ गया है। शांति के लिए शिक्षा कई मायनों में शांति-शिक्षा से अलग है। शांति-शिक्षा से भिन्न शांति के लिए शिक्षा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को शिक्षा के उद्यम को आकार देने के उद्देश्य के रूप में मानती है। यदि स्पष्ट दृष्टि और लगन के साथ शांति के लिए शिक्षा को लागू किया जाए, तो वह सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक आनंददायक और सार्थक बना सकती है।

शांति और शांति के लिए शिक्षा भी अब परिभाषित हो चले हैं और विद्यालयी पाठ्यचर्या में शांति के लिए शिक्षा को संक्षेप में ही सही शामिल किए जाने की आवश्यकता को वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रख कर देखा गया है। शांति के लिए शिक्षा पाठ्यचर्या के बोझ में कमी की मांग करती है। इस आधार पत्र में शांति सभी मूल्यों की आपसी एकात्मता का प्रासंगिक तथा शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से लाभदायक बिंदु प्रदान करती है। इस आधार पत्र में शांति और न्याय की पारस्परिकता को भी रेखांकित किया गया है। रुचियों के टकराव की स्थिति में न्याय की दावेदारी को शांति की गतिकी के मुकाबले अधिक महत्त्व मिलना चाहिए। यह बात, अंततः, शांति के पक्ष में होगी और ऐसा न होने की परिस्थिति में इसका भय रहेगा कि कहीं शांति एक दमनकारी और प्रतिगामी विचारधारा न बन जाए। अध्यापकों को न्याय मिलने की आवश्यकता पर भी यहाँ चर्चा हुई है और इस मूलभूत आवश्यकता पर ध्यान देने के उद्देश्य से अध्यापकों को संगठित करने का सुझाव दिया गया है। शांति के बीज के रूप में आंतरिक शांति की पहचान की गई है, साथ ही सावधान किया गया है कि आंतरिक शांति को पलायनवाद और पाखंडपूर्ण स्वार्थ समझने की ग़लती न करें।

यह आधार पत्र विद्यालयी जीवन में खतरनाक तरीके से बढ़ रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करता है और इसके लिए शांति के शिक्षाशास्त्र की रूपरेखा देता है। शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की निर्णायक भूमिका का और विद्यालयों को शांति की पौधशाला बना देने की आवश्यकता का भी परीक्षण करता है।

इसके बाद यह आधार पत्र कुछ विस्तार के साथ भारतीय संदर्भ में शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्य क्षेत्रों की जाँच करता है। यह काम शिक्षा के दो प्रधान लक्ष्यों के संदर्भ में किया गया है। वे हैं व्यक्तित्व-निर्माण और उत्तरदायी नागरिक का निर्माण। सभी भारतीयों की धर्म में न सही पर नागरिकता में तो सामान्य रूप से साझेदारी हैं। शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्षेत्र हैं : (क) शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना (ख) विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण, जो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्वक जीने के लिए ज़रूरी हैं (ग) संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देना (घ) धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की ज़रूरत और कर्तव्य (ङ) लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करनेवाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा (च) शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयास और (छ) जीवनशैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा।

तदोपरांत उन मुख्य पहलुओं और सरोकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन पर ध्यान देना शांति के लिए शिक्षा के प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए ज़रूरी है। इसमें सम्मिलित हैं - शिक्षकों की शिक्षा, पाठ्यपुस्तक लेखन, विद्यालयी ढाँचा, मूल्यांकन, मीडिया की साक्षरता, अभिभावक-शिक्षक की भागीदारी और शांति के लिए शिक्षा को लागू करने हेतु एकीकरण के व्यवहारिक निहितार्थो को प्राथमिकता वाली कार्य नीति मानते हुए संबोधित करना।

इसके बाद यह आधार पत्र शांति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या की विषयवस्तु का खाका पेश करता है। शांति के लिए शिक्षा को अलग विषय के रूप में नहीं दिया गया है ताकि पाठ्यचर्या के बोझ का तर्क न दिया जाए, बल्कि इसे सभी विषयों को पढ़ाने में निहित एक परिप्रेक्ष्य के तौर पर देखा गया है। इस आधार पत्र में शांति के लिए शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके हवाले से ही इसकी विषयवस्तु की भी पहचान की गई है। विषयवस्तु के संदर्भ में यह आधार-पत्र निम्नलिखित सुझाव देता है:

1. बच्चों के प्राथमिक विद्यालयी वर्षों में मूल्यों की नींव रखने और व्यक्तित्व के निर्माण पर ज़ोर दिया जा सकता है। साथ ही सामाजंस्य के साथ जीने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशलों पर भी। इसके पश्चात् शांति के परिपेक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है, विशेष रूप से बच्चों को शांति के लिए मूल्य आधारों को समझने के योग्य बनाने के लिए। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि द्वंद्वों के शांतिपूर्ण निपटारे के कौशलों को बढ़ावा मिले।
2. उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के दौरान विद्यार्थी भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सकें।
3. इसके बाद शांति के लिए शिक्षा नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ आकर संविधान की आधारिक विशेषताओं और उसकी मूल भावना का संक्षिप्त परिचय दिया जा सकता है। तदोपरांत 'जीवनशैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति' पर बल दिया जा सकता है। सृजन की

निरंतरता और समाज की स्थिरता के लिए सहायक जीवनशैली निर्मित करने की ज़रूरत के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाया जा सकता है। उसके साथ ही राष्ट्रीय एकता के सामने खड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया जा सकता है। यहाँ बल मुख्यत: विविधता और भिन्नता का सम्मान करने के रवैये पर होना चाहिए। विद्यार्थियों को एकता के रास्ते में आनेवाली बाधाओं के प्रति भी जाागरूक बनाने की ज़रूरत है।

4. ग्यारहवीं-बारहवीं के स्तर पर शांति के लिए शिक्षा दिए गए इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है: (अ) हिंसा के कारणों, उसके तरीकों और अभिव्यक्तियों की समझ, (ब) मुद्दों की वस्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल और (स) शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का विकास।

शांति के लिए शिक्षा के कार्यान्वयन को प्रभावशाली और आनंददायक बनाने के लिए इस आधार पत्र में कुछ सुझाव दिए गए हैं।

यह आधार पत्र शांति के लिए शिक्षा को आकार देनेवाली कुछ आधारिक मान्यताओं की पहचान करते हुए समाहार करता है। ये मान्यताएँ हैं: (क) विद्यालय शांति की पौधशालाएँ हो सकते हैं, (ख) शिक्षक सामाजिक सुधारक हो सकते हैं, (ग) शांति के लिए शिक्षा पूरी शिक्षा को मानवीय बना सकती है, (घ) शांति के कौशल और उसका रुझान जीवनव्यापी गुणवत्ता का कारण बनते हैं, और (ङ) न्याय शांति का अंतरंग हिस्सा है।

इसके बाद शांति के लिए शिक्षा को एक जनांदोलन का रूप देने की संस्तुति की गई है। कुछ चेतावनियाँ भी दी गई हैं। मसलन, शिक्षा के उद्यम पर सामाजिक और लैंगिक अन्याय के छींटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अन्याय के छींटों से दाग़दार बनी प्रक्रिया शांति का वाहन नहीं हो सकती। बच्चों के मस्तिष्क को जो भविष्य के नागरिक हैं, हिंसा से विकृत होते रहने के लिए छोड़ देना एक गंभीर समस्या है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और यथोचित गंभीरता तथा तत्परता से संबोधित करना चाहिए। शांति के लिए पूरी हार्दिक लगन और सोद्देश्यता की भावना से प्रयासरत होने की ज़रूरत है। शांति के लिए शिक्षा जैसी नयी पहल को व्यापक दृष्टि और दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया जाना चाहिए। कामचलाऊ तरीके से और आधे मन से की गई कोशिशें शांति को सतही बनाएँगी और उसकी प्रभाव-क्षमता को लेकर हँसी उड़ानेवाले रवैये को बढ़ावा देंगी।

राष्ट्रीय फोकस समूह के

“शांति के लिए शिक्षा”

के सदस्यों के नाम

डॉ. वाल्सन थंपू (अध्यक्ष)
जी-3, प्रशासनिक खंड
सेंट स्टीफेंस अस्पताल, तीस हजारी,
दिल्ली-110054

डॉ. मिनी कृष्णन
ऑक्सफोर्ड हाउस
ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस,
289, अन्नासलाई
चेन्नई-600006
तमिलनाडु

डॉ. कल्पना वेणुगोपाल
प्रवक्ता (शिक्षा)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.सी.ई.आर.टी.)
मैसूर-570006
कर्नाटक

प्रो. आर.सी. त्रिपाठी
निदेशक
जी.बी.पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान
यमुना एन्क्लेव, झूसी
इलाहाबाद-211019
उत्तर प्रदेश

डॉ. कमलेश सेन
6ए/53, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग
नयी दिल्ली-110005

प्रो. कृष्ण मुरारी गुप्ता
शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.सी.ई.आर.टी.)
अजमेर-305004
राजस्थान

प्रो. नरेश दधीच
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर-302004
राजस्थान

श्रीमती आशा नायर
प्रधानाचार्य
अमृता विद्यालयम्
सेक्टर-7, पुष्प विहार, साकेत
नयी दिल्ली-110017

डॉ. सरोज पाण्डेय
अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग
(डी.टी.ई.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी.
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली-110016

डॉ. (श्रीमती) दया पंत
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग
(डी.ई.पी.एफ.ई.) एन.सी.ई.आर.टी.
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016

डा.(श्रीमती) अंजुम सिबिया
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग
(डी.ई.पी.एफ.ई.) एन.सी.ई.आर.टी.
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली-110016

प्रो. सुषमा गुलाटी (सदस्य सचिव)
अध्यक्ष
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग
(डी.ई.पी.एफ.ई.)एन.सी.ई.आर.टी.
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016

अनुवाद सहयोग

श्री नरेन्द्र सैनी, सी-9/सी-5, अपर्णा अपार्टमेंट, फेज-III, शालीमार बाग, एक्सटेंशन-II, साहिबाबाद-201005, उत्तर प्रदेश
डॉ राधा, 4/276, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद-201002
श्री मनोज मोहन, पी.डी. 64/सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110088
डॉ. रंजना अरोड़ा, प्रवाचक, पाठ्यचर्या समूह, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली-110016

विषयसूची

सार-संक्षेप ...v
शांति के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय फोकस समूह के सदस्य *...viii*
1. **अवधारणाएँ एवं सरोकार** ...1
2. **संक्षिप्त पृष्ठभूमि** ...6
    2.1 पहल : अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ...6
    2.2 नीतिगत परिप्रेक्ष्य : एक सरसरी दृष्टि ...7
3. **शांति के लिए शिक्षा के प्रति उपागम** ...8
    3.1 अवस्था–विशिष्ट उपागम ...9
    3.2 शांति निर्माता के रूप में अध्यापक ...10
    3.3 शिक्षाशास्त्रीय कौशल और रणनीतियाँ ...11
    3.4 कक्षा में होने वाले आदान–प्रदान में शांति के सरोकारों को समाहित करना ...13
4. **शांति के लिए शिक्षा के सीमांत** ...14
    4.1 व्यक्तित्व निर्माण ...15
    4.2 सौहार्द्र के साथ मिल-जुलकर रहना सीखना ...15
    4.3 उत्तरदायी नागरिकता ...16
    4.4 राष्ट्रीय एकता ...19
    4.5 जीवन शैली के रूप में शांति के लिए शिक्षा ...20
5. **कुछ महत्त्वपूर्ण मसले** ...20
    5.1 पाठ्यचर्या भार ...20
    5.2 पाठ्यपुस्तक लेखन ...21
    5.3 मूल्यांकन एवं परीक्षा ...23
    5.4 अध्यापक शिक्षा ...24
    5.5 विद्यालयी व्यवस्था ...25
    5.6 मीडिया और हिंसा ...27
    5.7 अभिभावक-अध्यापक सहभागिता ...28
    5.8 एकीकरण की चुनौती ...29
6. **शांति के लिए शिक्षा : मूल्य और कौशल** ...29
    6.1 शांति के मूल्य ...29
    6.2 शांति कौशल ...31
7. **शांति के लिए शिक्षा : कुछ सिफारिशें** ...32
8. **निष्कर्ष ...34**
संदर्भ ...37

1. अवधारणाएँ और सरोकार

पूरी विद्यालयी शिक्षा में एक परिदृश्य के तौर पर शांति का सरोकार अंतर्निहित हो, ऐसा सोचने-विचारने का समय अब आ गया है। डेनियल वेब्स्टर ने बताया है कि शिक्षा का मकसद ज्ञान का प्रसार भर नहीं है।

> ''ज्ञान में वह सब कुछ समाहित नहीं है, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ अपने में समाए हुए है। भावनाएँ अनुशासित हों, मनोभाव संतुलित .... शुद्ध और हितकारी लक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जाए और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में विशुद्ध नैतिकता कायम रखी जाए।''

शांति के लिए शिक्षा शांति-शिक्षा से भिन्न है। शांति-शिक्षा में शांति की स्थिति पाठ्यचर्या में शामिल एक विषय की तरह है। दूसरी ओर, शांति के लिए शिक्षा में हम शांति की बात जिस रूप में कर रहे हैं, उस रूप में वह शिक्षा को गढ़ने-सँवारने वाली दृष्टि बन कर उभरती है। यह शिक्षा के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में आनेवाले एक युगांतकारी बदलाव का संकेत है। मौजूदा समय में शिक्षा का उद्यम बाज़ार की शक्तियों से नियंत्रित है। शांति के लिए शिक्षा को बाज़ार से कोई परहेज़ नहीं, लेकिन यह बाज़ार को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में नहीं देखती। बाज़ार हमारे जीवन-संसार का एक हिस्सा भर है। शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है, और वह जीविका के लिए प्रशिक्षण मात्र नहीं है। उसका मकसद है, लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों और अभिवृत्तियों से लैस करना, जिनसे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार रखनेवाले पूर्ण व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले।

ऐतिहासिक रूप से नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा शांति के लिए शिक्षा के पूर्वज हैं। इनमें काफ़ी कुछ एक-सा है। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा (एन. सी. एफ. एस. ई.) 2000 के मुताबिक, धर्म मूल्य-सृजन का एक स्रोत है। मूल्य और अभिवृत्तियाँ शांति की संस्कृति का निर्माण करनेवाली भवनसामग्री की तरह हैं। तो फिर शांति के लिए शिक्षा की अपनी क्या विशिष्टता है? हम आख़िर क्यों एक नए दृष्टिकोण का बोझ उठाकर स्वयं को परेशान करें या विद्यार्थियों की कमर दुहरी करें?

शांति के लिए शिक्षा पढ़ाई के भार में ख़ासी कमी लाने की बात करती है, ना कि उसे बढ़ाने की। शांति जीने के आनंद को मूर्त रूप प्रदान करती है। शांति के दृष्टिकोण से देखें तो सीखना एक आनंददायक अनुभव होना चाहिए। आनंद ही जीवन का सार है। शांति गति से असंबद्ध नहीं है। आपके संसार में जल्दबाज़ी और चिंता सीखने के आनंद को नष्ट करती हैं और जीवन तथा सीखने के सामंजस्य को तवज्ज़ह नहीं देतीं। यही आज की कड़वी सच्चाई है, जिसके चलते विद्यार्थियों के बीच आत्महत्या की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं।

शांति के लिए शिक्षा में मूल्य-शिक्षा भी समाहित है, लेकिन दोनों एक ही नहीं हैं शांति मूल्यों की संगति के लिए प्रासंगिक तौर पर उपयुक्त और लाभदायक शिक्षाशास्त्रीय बिंदु है। शांति मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है और उनके आंतरीकरण को प्रेरित करती है। इस तरह के ढाँचे के अभाव में अधिगम प्रक्रिया में मूल्यों का समावेश हो ही नहीं पाता। इस तरह शांति के लिए शिक्षित करना मूल्य-शिक्षा को संदर्भ प्रदान करने और संचालित करने की आदर्श रणनीति है। मूल्यों का आंतरीकरण अनुभव के ज़रिए होता है, जिसका कक्षा-केंद्रित शिक्षण और शिक्षण के पूर्णतया संज्ञानात्मक उपागम में अभाव पाया जाता है। शांति के लिए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को क्लासरूम की सीमा से मुक्त करने और इसे खोज के आनंद से अनुप्राणित जागरूकता के उत्सव में बदलने की माँग करती है।

शांति के लिए शिक्षा सीखने को संदर्भ प्रदान करने का काम करती है। हम स्थानीय, राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर अभूतपूर्व हिंसा के युग में जी रहे हैं। यह एक गंभीर बिंदु है कि विद्यालय, जिन्हें शांति की पौधशाला बनना था, हिंसा भड़काने-फैलाने के केंद्र बन गए हैं। हाल ही की एक घटना में दिल्ली के एक जाने-माने कॉलेज का एक पुराना विद्यार्थी पटना में अपहरण-गिरोह चलाता हुआ पकड़ा गया। अपने अनुभवों के आधार पर विद्यालयी परिवर्तन व्यवस्था में आए बदलावों पर एक शहरी अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए : ''हिंसा में

अप्रत्याशित उछाल आया है। बच्चे जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे हिंसक हैं। उनके खेल और उनकी रुचियाँ हिंसक हैं। उनके रिश्ते हिंसक हैं। लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देता। उनके घर ही हिंसा को बढ़ावा देते हैं।"

अब सुनिए दक्षिण भारतीय स्कूल की एक सफ़ाईकर्मी की मनोव्यथा–विद्यार्थियों को ही हिंसा से खतरा है। इस आधार पत्र के लिए आयोजित एक सर्वे के संदर्भ में शांति के लिए शिक्षा को लेकर बने फ़ोकस ग्रुप के एक सदस्य ने उनका साक्षात्कार लिया था।

ऐसी दुश्चिंता की शिकार अकेली तुलसीअम्मा ही नहीं है। शहरी भारत में उनके जैसे अनगिनत लोग हैं। इनमें से हर कोई शारीरिक हिंसा से ही चिंतित नहीं है। कइयों की चिंता शब्दहीन भावनात्मक हिंसा को लेकर है। वे सभी इस बात से परेशान नहीं हैं कि उनके बच्चे

वह आतंकवादी बनेगा या गुंडा?

मैं 10 साल की थी जब 1945 के सत्याग्रह आंदोलन में मेरे पिता की मौत हो गई। महात्माजी हमें देखने आए। ये देखो, ये मेरा ख़ज़ाना (वह एक *चरखा* और एक सफ़ेद टोपी की ओर इशारा करती है)। उन्होंने मुझे ये दिया और कहा, ''रोओ मत, तुम्हारे पिता एक हीरो थे, आओ और वानरसेना में शामिल हो जाओ।'' मेरा बड़ा भाई भी इंदिरा गाँधी के साथ आंदोलन में शामिल था। हम लोग आज के समय के हिसाब से निरक्षर थे, क्योंकि हम कभी विद्यालय नहीं गए थे। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि हम लोग शिक्षित थे। हमें पढ़ाने वाले राष्ट्र के महान नेता थे। मेरा पोता, यह छोटा-सा बच्चा, अभी सिर्फ़ 13 साल का है। 10 साल पहले जब इसकी माँ मर गई, तबसे मैं ही इसकी देखरेख कर रही हूँ। एक दिन इसने सीना ठोककर सच बोला, जिसके एवज़ में इसे बुरी पिटाई मिली और इसकी पसलियाँ टूटीं। इस दिन से पहले यह अच्छा, दयालु, सच्चा और संयमी बालक था। यह बदलाव तब हुआ जब एक दिन विद्यालय निरीक्षक ने बच्चों से विद्यालय, अध्यापकों और सुविधाओं के बारे में पूछा। उसने निर्भीकता दिखाते हुए सब सच-सच कह दिया। उसने निरीक्षक को बताया कि एक लड़के को विज्ञान की परीक्षा में इसलिए नकल करने दी गई कि वह हेडमास्टर का भतीजा था। निरीक्षक ने हेडमास्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और हेडमास्टर ने बालक की पिटाई की। उसने कुछ गुंडों से उसकी जमकर पिटाई करवाई। मैं पुलिस के पास गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आज यह बालक पूरी तरह से बदल गया है। अब वह दूसरों को डरा धमकाकर अपना काम निकालता है। वह दूसरे स्कूल में चला गया है। अपनी कद-काठी और ताकत के चलते वह दूसरे विद्यालय में हीरो बन बैठा है। मैं नहीं मानती कि इस बालक ने घर से हिंसा सीखी है। मैंने अपना पूरा जीवन गांधीवादी *सत्य* और *अहिंसा* को आधार बनाकर गुज़ारा है। क्या मैं उस समय चैन से दम तोड़ सकूँगी, जब मेरा ही खून *हिंसा* में लगा हुआ हो। कृपा कर स्कूल से मिलनेवाली इस ग़लत सीख को बदलने के लिए कुछ करो। उनसे शांति की बात करना पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें शांति के लिए प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। गांधी ने हमें *शांतिमार्गम्* के लिए *सत्य* और *अहिंसा* में प्रशिक्षित किया था। तुम मुझसे कहते हो कि यह सब कुछ दिल्ली में किया जाता है- उनसे कहो, कम-से-कम अब तो जागो! उन्हें गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। आगे बढ़ो और बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाओ। अपने पोते के बारे में मुझे कभी-कभार बड़े भयानक विचार आते हैं। क्या वह आतंकवादी बनेगा या गुंडा? जब उसका *अहिंसा* में विश्वास ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे यह विरासत (*चरखा* और *टोपी*) दूँगी?

तुलसीअम्मा : तमिलनाडु के एक विद्यालय में 70 वर्षीय एक सफ़ाईकर्मी

आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन यह सोचकर ज़रूर परेशान हैं कि क्या कभी उनका अपने बच्चों के साथ आत्मा को तृप्ति देनेवाला हार्दिक रिश्ता बन पाएगा। बढ़ता भावनात्मक अलगाव, जिसके नतीजे के तौर पर घरों में आपसी लगाव का क्षरण हो रहा है और संवाद मृतप्राय होता जा रहा है, यह सब ही उनकी मौन पीड़ा के मूल में है। और ऐसा लगता है कि यह चीज़ महामारी के पैमाने पर फैलनेवाली है। अलगाव हिंसा का बीज है। अधिगम के भावात्मक, संबंधात्मक और अनुभवात्मक पक्षों को नकारते हुए शिक्षा के द्वारा अलगाव में चुप्पी तक एक तरह की हिंसा बन जाती है। यह पूछे जाने की ज़रूरत है कि कहीं हम अनजाने में अलगाववाद तो नहीं फैला रहे। इस तरह की शिक्षा बच्चों को ऐसे दिमागी संयंत्रों में बदल देती है, जो तथ्यों पर अपना अधिकार जमाते हैं और फिर स्वयं उनके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं; लेकिन यह उनके भावात्मक और संबंधात्मक कौशलों को विकसित नहीं कर पाता। परिणामत: एक व्यक्ति जितना ही उपलब्धियों के पीछे दौड़ता है, उतना ही अपने प्रिय लोगों तक के साथ संवेदनशील, अन्योन्य और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जुड़ पाने में अक्षम भी होता जाता है। अधूरी समाज-कल्पना के निशान ढोता असंतुलित विकास बच्चों को हिंसा के प्रति सुभेद्य बनाता है। इस आधार पत्र के लिए आयोजित एक सर्वे में पाया गया कि हमारे दायरे में आनेवाले 18 फ़ीसदी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंसा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में आनंद आता है। पिल्लों और बिल्ली के बच्चों को पत्थर मारना, फूलों की कलियाँ तोड़ना, उँगलियों के बीच तितलियाँ पकड़ रखना उन्हें अच्छा लगता है। कुछ बड़े बच्चों को छेड़खानी और जानलेवा होने की हद तक उत्पीड़न करना आनंददायी लगता है।

हिंसा को द्रुत समस्या-निवारक मानने की भावना महामारी की तरह सिर उठा रही है। शारीरिक हिंसा के नंगे विस्फोटों से भी अधिक चिंताजनक है, उपलब्धियाँ जुटाने और प्रभावशाली बनने की हमारी लालसा में छिपी हिंसा। अगर एक अरब की आबादी वाला हमारा देश ओलंपिक में एक स्वर्णपदक नहीं जीत पाता, तो हम यह सोचते हैं कि यह इसलिए नहीं कि हम प्रतिभाओं का सही पोषण नहीं करते या एक उद्देश्य के पीछे अपनी पूरी मेहनत नहीं झोंक पाते, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कि हममें 'मरो या मारो' वाली भावना की कमी है। विपक्षी दल बहस करने की बजाय 'संसद को फ़िरौती के लिए स्थगित किए रखने' की नीति पर अमल कर अपनी बात के पक्ष में दूसरों को 'पस्त कर देना' पसंद करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि दैनिक क्रियाकलाप भी तब तक ठीक से नहीं हो सकते, जब तक उन्हें 'युद्धस्तर' पर करने का प्रयास न हो। निरक्षरता का 'उन्मूलन' करने की हमारी आतुरता के मुक़ाबले शिक्षा को 'बढ़ावा देने' का हमारा उत्साह बहुत कम है। आज के युवाओं ने अपने जन्मदिन के समारोह को शोर-शराबे की पार्टियों का रूप दे दिया है। सड़कों पर वाहन चलाने की जगह वे दुर्घटनाएँ ज्यादा करते हैं। हम हिंसा के लिए सजा और शांति के लिए इनाम देने की बात भी क्यों करें?

काम करने की जगहों पर निश्चित कार्यसूची-युद्ध, घरों में लिंगभेद-युद्ध, सार्वजनिक जगहों पर दुष्प्रचार-युद्ध! परिणाम क्या है? बच्चे अनजाने ही हिंसा की पाठशाला में पलते-बढ़ते जाते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा और बुरा अपकार है, उसके बच्चों के मस्तिष्क को हिंसा से प्रदूषित करना। युवा मस्तिष्कों को हिंसा की विचारधाराओं की शिक्षा देते हुए यह काम बहुत सक्रिय तरीके से किया जा रहा है। यही काम समन्वयकारी आदर्शों और सार्वभौमिक मूल्यों को नकार कर निष्क्रिय तरीके से भी किया जा रहा है। कल के नागरिकों को शांति का रास्ता चुनने की क्षमता से परिपूर्ण करने की ज़रूरत है; नहीं तो वे हिंसा की अंधी गलियों में भटकते रहेंगे। निस्संदेह, 'हिंसा साक्षरता' के सार्वभौमिक होने के खतरे मँडराने लगे हैं।

लेकिन यह बढ़ती हुई हिंसा शिक्षा को शांति की ओर ले जाने का एकमात्र कारण नहीं है और न ही सबसे अहम कारण है, ठीक वैसे ही जैसे दुर्घटनाओं को टालने की आवश्यकता ही किसी गाड़ी के कलपुर्ज़े दुरुस्त रखने

का मुख्य आधार नहीं होती। दुर्घटनाओं को किसी भी कीमत पर टाला जाना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति दुर्घटनाओं को टालने के लिए ही गाड़ी नहीं खरीदता। वह गाड़ी खरीदता है, अपने वांछित गंतव्यों तक पहुँचने के लिए। शिक्षा नियति के साथ राष्ट्र की भेंट है। हम देश का ऋण ऐसी शिक्षा देकर चुका सकते हैं जो भारत की संपूर्णता और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। राष्ट्रीय एकता, विकास एवं तरक्की के लिए शांति पहली आवश्यकता है। टकराव हमारी सामूहिक ऊर्जा का अपव्यय कराते हैं और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद जीवन की गुणवत्ता के ताने-बाने को बिखेर देते हैं। शांति के लिए शिक्षा को कार्यरूप में लाना सिर्फ़ टकरावों के समाधान और उनकी रोकथाम के लिए उपयुक्त रणनीति नहीं है, अपितु यह 'हमारे सपनों के भारत' को वास्तविकता में उतारने के लिए आगे बढ़कर किया जानेवाला निवेश भी है। हर दौर में हर समाज ने शांति को एक महान और आवश्यक आदर्श माना है। अतीत के महान आध्यात्मिक गुरु भी अपने-अपने ढंग से सभी को शांति का पाठ ही पढ़ाते रहे हैं।

कोई भी मूल्य अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं है। मूल्य पूरक और परस्परनिर्भर होते हैं। दूसरे मूल्यों से अलग करके जब किसी मूल्य का पालन किया जाता है, तो उलटे परिणाम भी सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, वफ़ादारी एक मूल्य है, लेकिन जब वफ़ादारी में से सत्य को निकाल दिया जाता है तो वह चापलूसी में बदल जाती है। प्रेमरहित सत्यवचन मरहम लगाने की जगह घाव करता है। इसी तरह शांति अगर न्याय के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह दमन का हथियार बन जाती है। अन्याय शांति को तबाह कर देता है। हमारे संदर्भ में व्यवस्थागत अन्याय का सबसे व्यापक रूप है, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव और अयोग्यताएँ। व्यवस्थागत अन्याय के ये दोनों रूप ग़रीबी के कारण पर और भी विकृत होकर लाखों बच्चों को स्कूल में शिक्षा और सम्मान पाने के अधिकार से वंचित करते आए हैं। जाति और लिंग आधारित अन्याय शिक्षा के मौलिक अधिकार को निरंतर नष्ट कर रहा है। इन कमियों को दूर करना ही शांति के लिए शिक्षा की कार्यसूची में सबसे ऊपर है। बुनियादी शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने की राह में रोड़े अटकाना वंचितों के ख़िलाफ़ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को जन्म देता है, उनके बारे में पूर्वाग्रहों का भरण-पोषण करता है और साथ ही राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से उनके निष्कासन का भी कारण बनता है। भारतीय समाज जो जातीय अन्याय के बहुत प्रकारों से पहचाना जाता है, में *न्याय की माँग को शांति के दावों की तुलना में अधिक महत्त्व मिलना चाहिए। विरोधाभासी तौर पर यह शांति के ही पक्ष में होगा।*

आंतरिक शांति सामूहिक शांति का सार है। इसकी अनुपस्थिति में आप चैन के सागर में भी बेचैन रहेंगे। इसके उलट, आप अगर शांतचित्त हैं तो झंझावातों के बीच भी स्थिर बने रहेंगे। लेकिन इस आंतरिक शांति को स्वकेंद्रित विराग या मानवीय पीड़ाओं की ओर से आँखें मूंद लेने की अवस्था मानने की ग़लती की जाती है। पीड़ाओं और ज़रूरतों के घिराव का ऐसा सामना करने की क्षमता शांति में अंतर्भुक्त है, जिससे अँधेरे के बाद पौ फटने का हमारा भरोसा दृढ़ होता है। शांति की क्षमता की *परीक्षा* अशांति की अनुपस्थिति में नहीं, उसकी उपस्थिति में ही होती है। दूसरों की आवश्यकताओं और पीड़ाओं को समझकर सही और सकारात्मक कार्रवाई करने का सामर्थ्य ही सच्ची आंतरिक शांति की निशानी है। साथ ही, आंतरिक शांति सजग-सक्रिय एकजुटता की पूर्वशर्त भी है। यह व्यक्ति विशेष के लिए शांति पाने का कोई संदर्भ नहीं, बल्कि सारे लोगों की शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। सभी की शांति की अनदेखी करनेवाले जो भी पहलू हैं, उन्हें पहचानने, उनकी निंदा करने, उनका प्रतिरोध करने और उन्हें जड़ से समाप्त करने का धैर्य भी इसमें शामिल है।

शांति के लिए शिक्षा के सामने उपस्थित जिस मुख्य चुनौती का सबसे पहले उल्लेख होना चाहिए, वह है, अध्यापकों को न्याय दिलाने की आवश्यकता। अध्यापकों से हमारी अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं और यह निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन उनके साथ न्याय करने के दायित्व की हम लगातार अनदेखी कर रहे हैं। शिक्षक

दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक शिक्षक के दिवस कैसे गुज़रते हैं, इस ओर से हम अपनी निगाहें फेरे रखते हैं। उनकी तनख़्वाह बहुत कम है और कुछ राज्यों में तो वह भी नियमित रूप से नहीं मिलती। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जहाँ शिक्षकों को कागज़ पर दिखाई जानेवाली तनख्वाह के मुक़ाबले असल में बहुत कम मिलता है। उनमें से कइयों को अपनी नौकरी के लिए मोटी रिश्वत देनी पड़ती है और वे हतोत्साहित एवं व्यथित रहते हैं। हज़ारों तो अपनी सुलगती हुई पीड़ा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ तक कि संगठित क्षेत्र के निचले दर्ज़े का कर्मचारी भी अपनी कठिनाइयों के लिए श्रम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन अध्यापकों के लिए इस तरह का कोई सहारा भी नहीं। *ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि अध्यापकों के लिए संविधानसम्मत सशक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाए, जिसकी प्रत्येक राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश में शाखा हो, ताकि शिक्षकों की समस्याओं की सुनवाई और उनका समाधन हो सके।* उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में सुविधाओं और तत्परता को ध्यान में रखते हुए इसकी एक से अधिक शाखाएँ गठित करने की भी आवश्यकता है। *शांति के लिए शिक्षा को लागू करने के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है, अध्यापकों के साथ न्याय करना।*

शांति के लिए शिक्षा को ऐसे ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और मूल्यों का पोषण करना है जिनसे शांति की संस्कृति निर्मित होती है। अहिंसक तरीके से द्वंद्वों का समाधान करनेवाले अमनपसंद लोग तैयार करना इसकी एक दीर्घकालिक रणनीति है। शांति के लिए शिक्षा समग्रतामूलक है। मानवीय मूल्यों के एक ढाँचे के भीतर बच्चों का भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास इसके घेरे में आता है। शांति को शांति के लिए शिक्षा के दो मुख्य निहितार्थों के समग्रतामूलक वाहक के रूप में पहचाना गया है। ये निहितार्थ हैं: (क) शांति मानवीय अस्तित्व के सभी पहलुओं और आयामों को परस्पर निर्भर तरीके से अपने भीतर शामिल किए हुए है। जो लोग स्वयं में शांतचित्त हैं, वही दूसरों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं और ऐसी संवेदनशीलता का विकास कर सकते हैं, जो प्रकृति के प्रति उचित और ममत्वपूर्ण रवैये के लिए ज़रूरी होती है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शांति सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय शांति के बग़ैर न तो उपजाऊ होगी, न टिकाऊ। (ख) पारस्परिकता शांति में अंतर्निहित है। प्यार, स्वतंत्रता और शांति सरीखे मूल्य दूसरों में बाँटकर ही पोषित किए जा सकते हैं। इनके बाँटने में ही इनकी समृद्धि होती है। किसी को अगर ऐसी बहिर्वेशी शांति की इच्छा हो जिसमें दूसरों की शांति के लिए कोई स्थान नहीं, तो वह एक ख़तरनाक छलावे का शिकार है। इस तरह शांति के लिए शिक्षा के उद्देश्य दोहरे हैं : (क) लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने की बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना और (ख) उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने की बजाय उसका सर्जक बनाना। इस मायने में शांति के लिए शिक्षा समग्रतामूलक बुनियादी शिक्षा का अनिवार्य घटक है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति का समग्र विकास है।

शांति को अकसर हिंसा की अनुपस्थिति से जोड़ा जाता है। गांधीजी शोषण को हिंसा का सबसे जाना-पहचाना और व्यावहारिक रूप मानते थे। शोषण चाहे राज्य, समूह, व्यक्ति या मशीन के द्वारा व्यक्ति का अथवा आदमी के द्वारा औरत का अथवा राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का हो। प्यार, सत्य, न्याय, समानता, सहनशीलता, सौहार्द्र, विनम्रता, एकजुटता और आत्मसंयम - शांति इन सारे मूल्यों को व्यवहार मे लाने पर बल देती है। दूसरों पर हिंसा करने की बजाय स्वयं कष्ट सहने को प्राथमिकता देनी चाहिए। गांधीजी की शांति संबंधी धारणा में शामिल हैं:

(1) तनाव, टकराव और हिंसा के सभी रूपों (आतंकवाद और युद्ध समेत) की अनुपस्थिति। शांति का अर्थ ही है, सौहार्द्रपूर्वक मिलजुलकर रहने की क्षमता। यह टकरावों के समाधान के लिए अहिंसक तरीके अपनाने की बात करती है। विविधता कभी-कभी टकरावों को जन्म देती है, पर टकरावों की हिंसक परिणति ही हो, यह आवश्यक नहीं है।

(2) अहिंसक समाज-व्यवस्था का निर्माण, यानी संरचनात्मक हिंसा से मुक्त समाज का निर्माण। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय करने का कर्तव्य। भूख एक व्यवस्थागत हिंसा है।
(3) शोषण और अन्याय के सभी रूपों की अनुपस्थिति।
(4) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और सहयोग। ऐसी न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की रचना, जिसकी विशेषता हो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरती के संसाधनों का साझा करने की इच्छा और पहल। इसका अर्थ है लालच से ज़रूरत की ओर रुख करने की आवश्यकता।
(5) पारिस्थितिकीय संतुलन और संरक्षण। ऐसी जीवन-शैली का वरण जो सृजन की पूर्णता में सहायक हो।
(6) मन की शांति, या शांति का मनो-आध्यात्मिक आयाम।

शांति व्यक्ति से शुरू होकर परिवार, समुदाय, राष्ट्र और वैश्विक ग्राम तक फैलती जाती है। इसीलिए शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में दो स्तरीय रणनीति ही काम आ सकती है। इसके लिए समाज के सदस्यों को हिंसा की बजाय शांति की ओर उन्मुख करने की ज़रूरत तो है ही, साथ-के-साथ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी शांति की ओर उन्मुख करने की ज़रूरत है। हमारे जीने का तरीका शांति के अनुशासन से ही निर्देशित होना चाहिए। शिक्षा इन दोनों रणनीतियों के प्रभावकारी होने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षा को सूचना के मालगोदाम से परे जागरूकता के उत्सव में जाना होगा और इस काम को शांति के लिए शिक्षा ही सबसे उत्तम ढंग से परिणत कर सकती है।

2. संक्षिप्त पृष्ठभूमि

2.1 पहल : अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय

हम उस दशक के बीचोंबीच हैं जिसे शांति की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए शांति दशक के रूप में मनाए जाने का निश्चय संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1999 में किया था। यूनेस्को ने 2000-2010 को दुनिया भर के बच्चों के बीच शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देनेवाला अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। पिछले पाँच दशकों में अनेक बार शांति के लिए शिक्षा की पुरज़ोर तरीके से वकालत की जाती रही है। इसमें दो मील के पत्थर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, शांति, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए शिक्षा को लेकर यूनेस्को की सिफ़ारिशें (1974) और शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए शिक्षा से संबंधित यूनेस्को की 1994 की कार्य-योजना, जिसे 144 देशों की स्वीकृति मिली थी। 1953 में अंतर्राष्ट्रीय मेलमिलाप और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा ए.एस.पी. नेट का आगाज़ हुआ। 2003 तक 175 देशों के नर्सरी स्कूलों से लेकर अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र तक 7500 संस्थानों को ए.एस.पी. नेट में शामिल किया जा चुका था। यह नेटवर्क शांति, स्वतंत्रता, न्याय और मानव-विकास के लक्ष्य के प्रति समर्पित है।

'शांति और निरस्त्रीकरण शिक्षा' पर एक नई पायलट परियोजना चार देशों में शुरू की गई है। यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों के विभाग (यू.एन.डी.डी.ए.) और शांति के लिए हेग अपील (एचएपी) के द्वारा संचालित है और वे चार देश हैं - अल्बानिया, नाइजर, पेरू और कंबोडिया। इज़राइल स्थित हिफ़र विश्वविद्यालय में सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन एजुकेशन फ़ॉर पीस (सी. ई. आर. पी. ई.) 1998 से काम कर रहा है। यह संस्थान शांति के लिए शिक्षा पर विद्वज्जनोचित अध्ययन हेतु अंतरानुशासनिक और अंतरराष्ट्रीय फ़ोरम के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहा है। इसने शांति के लिए शिक्षा पर कई परियोजनाओं को अंजाम दिया है। न्यूयॉर्क स्थित दि अर्थ एंड पीस एजुकेशन एसोसिएट्स इंटरनेशनल (ई. पी. ई.) एक अन्य संगठन है, जो शांति से संबंधित बुनियादी मूल्यों-मसलन, ठहराव, अहिंसा, सामाजिक न्याय, समता और निर्णय-सहभागिता - को बढ़ावा देता है। इनके अलावा पूरी दुनिया में कई संगठन शांति के लिए काम कर रहे हैं।

हमारे देश में भी कई संस्थान शांति, विशेषत: शांति संबंधी गांधीवादी विचारों के प्रोत्साहन के लिए काम कर

रहे हैं; मसलन – गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मृति और दर्शन समिति, गांधीवादी अध्ययन संस्थान, जयपुर शांति प्रतिष्ठान इत्यादि। यह खेद है कि भारतीय अकादमिक संस्थान शांति अध्ययन के महत्त्व की उपेक्षा करते आए हैं। हमारे यहाँ अहिंसा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की धरोहर और द्वंद्वों को निपटाने के गांधी जी के तरीकों की एक सांस्कृतिक परपंरा रही है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी शांति के प्रवक्ताओं और नायकों को प्रेरित करती है। ऐसे में हमारे यहाँ की वर्तमान परिस्थिति से हमें अवश्य ही शर्मशार होना चाहिए।

ग़ैरसरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) मानवाधिकार, जेंडर-भेदभाव, पर्यावरण जैसे शांति अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते आए हैं, लेकिन स्कूल-स्तर की शिक्षा पर यथेष्ट प्रभाव डालने में ये असफल रहे हैं। इनकी प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी संस्थानों के बीच समुचित नेटवर्किंग की ज़रूरत है।

2.2 नीतिगत परिप्रेक्ष्य : एक सरसरी निगाह

जैसा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1962) की रिपोर्ट में दिखलाया गया है, ब्रिटिश-पूर्व समय में शिक्षा के प्रति उपागम (अप्रोच) इस दृष्टिकोण पर आधारित था कि ''शिक्षा का काम बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना भर नहीं है, बल्कि उसे नीतिशास्त्र और धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित आचार संहिता भी बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए।'' इसके विपरीत ब्रिटिश युग शिक्षा के इतिहास में एक क्रमभंग के रूप में सामने आता है। ब्रिटिश राज धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के ख़िलाफ़ ही नहीं था, बल्कि उसे इससे परेशानी भी थी। हालाँकि 1882 के शिक्षा आयोग ने नैतिक शिक्षा को पाठ्यचर्या में शामिल करने का जोख़िम उठाया था, जिसे 1884 में सरकार ने 'अव्यावहारिक' कहकर ख़ारिज़ कर दिया।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 1944-46 की रिपोर्ट इस विषय पर चली आ रही सोच में एक नए प्रस्थान का संकेत देती है। इसने माना कि "धर्म को उसके व्यापकतम अर्थ में लें, तो उसे हर तरह की शिक्षा का प्रेरक बनना चाहिए" और यह कि "नैतिक आधार से रहित पाठ्यचर्या अंततः व्यर्थ ही सिद्ध होगी।" लेकिन भूमि स्तर पर इससे कोई भी बदलाव नहीं आया। इन संस्कृतियों को लागू करने की व्यावहारिकता का अध्ययन करने के लिए बिशप जी. डी. बार्नें की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि धार्मिक शिक्षा "उस घर और उस समुदाय की उत्तरदायित्व होनी चाहिए, जिससे बच्चा संबंध रखता है।"

नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर चल रही सोच की दिशा में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) की रिपोर्ट मील का पत्थर साबित हुई। इसने चरित्र निर्माण को शिक्षा को परिभाषित करने वाला लक्ष्य माना। "शैक्षिक प्रक्रिया का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए, छात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व का ऐसा प्रशिक्षण, ताकि वे अपनी सारी क्षमताओं को पहचान सकें और समुदाय की उन्नति के लिए काम कर सकें।" इस लक्ष्य को पाने के लिए रिपोर्ट में नैतिक शिक्षा की बात कही गई थी। इसने नैतिक शिक्षा को एक अलग विषय के बजाय उसे लेकर एक समन्वित रुख अपनाने की बात कही थी। "धार्मिक शिक्षा" के संबंध में रिपोर्ट में यह नियत किया गया था कि वह "स्कूलों में मात्र स्वैच्छिक आधार पर एवं स्कूल की नियमित अवधि के बाहर ही दी जा सकती है। ऐसी शिक्षा उस ख़ास धार्मिक आस्था से जुड़े बच्चों तक ही सीमित होती है और अभिभावकों तथा प्रबंधन की सम्मति से ही संचालित होती है।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट (1962) अधिक आश्वस्त टिप्पणी पेश करती है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि "अगर हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण को अपने संस्थानों से बाहर कर दें, तो हम अपने संपूर्ण ऐतिहासिक विकास के प्रति बेईमान हो जाएँगे।" इसके बाद रिपोर्ट धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि "एक राष्ट्रीय आस्था और धर्मसंबंधी भारतीय दृष्टि पर आधारित किंतु कठमुल्लापन, कर्मकांड और दिखावों से मुक्त एक राष्ट्रीय जीवन-पद्धति" के विकास के पक्ष में पूरी तैयारी के साथ विवेचन प्रस्तुत करती है। 1964-66 के शिक्षा आयोग ने "शिक्षा और राष्ट्र-विकास" पर प्रकाश डाला और इस नज़रिए से 'सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक

मूल्यों की शिक्षा के लिए कोई प्रावधान न होने' को पाठ्यचर्या की एक गंभीर कमी बताया। आयोग ने यह संस्तुति की कि 'जहाँ संभव हो वहाँ महान धर्मों की नैतिक सीखों की मदद से' इन मूल्यों की शिक्षा दी जाए। श्री प्रकाश कमेटी रिपोर्ट से सहमत होते हुए इसने 'प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षण' की संस्तुति की और इसके लिए 'पाठशाला की समय-सारिणी में प्रति सप्ताह एक या दो कालांश निर्धारित' करने की सलाह दी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने 'अत्यावश्यक मूल्यों के क्षरण और समाज में बढ़ती कटुता' पर अपनी चिंता व्यक्त की। इसने शिक्षा को 'सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संवर्द्धन करनेवाले एक ताक़तवर औज़ार' के रूप में ढाल देने की वकालत की। शिक्षा को "उन सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों का पोषण करना चाहिए, जो हमारे लोगों को एकता और अखंडता की दिशा में ले जाते हैं।" 1992 की कार्य योजना में मूल्य-आधारित शिक्षा के विभिन्न घटकों को माध्यमिक स्तर समेत विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई।

नेशनल करिकुलम फेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (2000) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की ही बात दुहराते हुए "अत्यावश्यक सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के क्षरण और हर स्तर पर कटुता की बढ़ोतरी" को लेकर खेद प्रकट किया। इस पृष्ठभूमि में इसने मूल्य शिक्षा को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाए जाने की बात पर बल दिया। इसने बताया कि ज़रूरत "धार्मिक शिक्षा की नहीं, बल्कि धर्म के बारे में, उनकी बुनियाद और उनमें अंतर्निहित मूल्यों के बारे में शिक्षा की है तथा सभी धर्मों के दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन की भी ज़रूरत है।" इस फ्रेमवर्क ने एक समन्वित उपागम की प्रस्तावना की। उसके अनुसार मूल्य शिक्षा और धर्मविषयक शिक्षा को 'समुचित रूप से अध्ययन के सभी विषयों में समाहित होना चाहिए'।

दशकों के सफ़र में धार्मिक और नैतिक शिक्षा से हटकर हमारा ध्यान जिस तरह से मूल्य शिक्षा के बरास्ते शांति के लिए शिक्षा तक पहुँचा है, वह शिक्षा के बृहतर संदर्भ में समझ और संवेदना के बदलाव का सूचक है। उपचार बीमारियों की ओर इशारा करते हैं। पश्चिम में समग्रतामूलक शिक्षा के आवश्यक अंग के रूप में शांति के लिए शिक्षा की स्वीकार्यता हिंसा में बढ़ोतरी और विस्तार से पैदा हुई चिंता का परिणाम था। यही पृष्ठभूमि अब हमारे यहाँ देखने को मिल रही है।

3. शांति के लिए शिक्षा के प्रति उपागम

जब स्कूल का वातावरण शांति के मूल्यों और रवैयों से अनुप्राणित होता है, तब पाठ्यचर्या में अंतर्निहित शांति की धारणाओं को मिलनेवाले अवसर अधिकतम होते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बातचीत, पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की रूपरेखा, शिक्षाशास्त्रीय उपागम और स्कूल का संपूर्ण जीवन - इन सारे आयामों की दिशा शांति की ओर होनी चाहिए।

शांति के लिए शिक्षा को लेकर जिस शिक्षाशास्त्रीय रणनीति को इस पर्चे में स्वीकार करके चला गया है, वह है, समेकन की रणनीति। समेकन आदर्श है, ख़ास तौर से इसलिए कि शांति स्वयं में सूत्रबद्ध करनेवाली और सारी चीज़ों को समेटनेवाली एक धारणा है। इस समेकित उपागम को दो कोणों से समझना होगा। व्यापक स्तर पर, समेकन वहाँ होता है, जहाँ विद्यालय की पाठ्यगत से लेकर पाठ्येतर तक सारी गतिविधियाँ शांति के लिए शिक्षा के अनुकूल होती हैं। कक्षा के स्तर पर, इसका मतलब है, अध्यायों की अंतर्वस्तु में शांति के पहलुओं को इस तरह से घुलाना ताकि उन्हें शांति-मूल्यों को अंगीकार करने में विद्यार्थियों को सहायता पहुँचानेवाले साधन की तरह उपयोग किया जा सके। यहाँ ध्यान सिर्फ़ ज्ञानार्जन पर नहीं बल्कि उस प्रक्रिया पर भी है, जिसके द्वारा शांति प्राप्त की जाती है।

मनोवैज्ञानिक, प्रेरणात्मक और शिक्षाशास्त्रीय जैसे अनेक दृष्टिकोणों से समेकित उपागम "पृथक विषय उपागम" पर भारी पड़ता है। संज्ञानात्मक और विकासात्मक दृष्टि से रचनावादी मनोविज्ञान ने यह स्थापित किया है कि बच्चे समग्रता में ही ज्ञान की रचना करते हैं। जब ज्ञान की जड़ें उपयुक्त संदर्भ में धँसी होती हैं, तब वह

सीखनेवाले के लिए अर्थवान और आनंददायक बन पड़ता है। समेकित उपागम के तहत अध्याय और उसके विषय सार्थक संदर्भों में शांति का संदेश हम तक पहुँचानेवाले वाहक बन जाते हैं। यह उपागम विषयवस्तु को पूर्ण और संदर्भवान ही नहीं बनाता, बल्कि विद्यार्थियों को सीखने और अपने सीखे हुए को खुद अपने परिवेश से जोड़ कर देखने के लिए भी प्रेरित करता है। यह सकारात्मक प्रवृत्तियों की खोज करने, उन पर सोचने-विचारने और उन्हें अंगीकार करने के लिए पृष्ठभूमि और संबंध-सूत्र भी उपलब्ध कराता है। यह समेकित उपागम विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों की मुकम्मल सूरत में झलकना चाहिए और उसे विद्यालय की पाठ्यचर्या तथा सह-पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। यहाँ हर अध्यापक शांति का पाठ पढ़ानेवाला बन जाता है। विद्यार्थी-शिक्षक की अन्योन्यक्रिया, पाठ्यपुस्तक के अध्याय और उन्हें पढ़ाने का शिक्षाशास्त्र, विद्यालय के प्रबंधक और प्रशासनिक कर्मचारी भी शांति के लिए शिक्षा की ओर अभिमुख होने चाहिए।

3.1 अवस्था-विशिष्ट उपागम

शिक्षा का प्राथमिक चरण शांति-अभिमुख व्यक्तित्व की नींव रखने के लिए आदर्श समय होता है। यह वह दौर है जब विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है। इस चरण में उसके ऊपर बोझ अपेक्षाकृत कम होता है। इसी चरण में सबसे ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों को शांति के लिए शिक्षा के असर में लाया जा सकता है। इसके बाद बच्चे शाला छोड़ने लगते हैं। इसलिए यही वह चरण है, जिसमें शिक्षा के द्वारा शांति की संस्कृति की आधारशिला रखने पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। एक कहावत है कि "किसी वयस्क को दुरुस्त करने की अपेक्षा किसी बच्चे का निर्माण करना ज़्यादा आसान है।"

शांति-अभिमुख व्यक्तित्व के घटक मूल्य हैं: अपनी और अपने परिवेश की साफ़-सफ़ाई, दूसरों और बड़ों के लिए सम्मान, श्रम की कद्र, ईमानदारी, प्यार, साझेदारी और सहकारिता, सहनशीलता, नियमितता, समय की पाबंदी, उत्तरदायित्व इत्यादि। सभी बच्चे स्वभावत: प्रेम करनेवाले और दयालु होते हैं, साथ ही इससे भिन्न होने की क्षमता भी उनके भीतर होती है। इसीलिए उनके भीतर जो कुछ सर्जनात्मक है, उसे पुष्ट और मज़बूत करने की ज़रूरत है, और साथ ही उनकी हिंसक प्रवृत्तियों की पहले से ही रोकथाम करने की भी आवश्यकता है। प्राथमिकशाला के बच्चों के लिए शांति के लिए शिक्षा का उद्देश्य है, बच्चों को प्रकृति की विविधता, सुंदरता और सामंजस्य का आनंद उठाने में मदद करना। उन्हें ऐसे कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो दूसरों के साथ सहज रहने के लिए आवश्यक हैं (विशेषत: सुनने की कला) और प्रकृति के साथ भी सहज रहने के लिए आवश्यक हैं (सौंदर्यमूलक संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का बोध)।

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं और माध्यमिक विद्यालय के चरण तक पहुँचते हैं, वे अमूर्त विचारों को ग्रहण करने लगते हैं। सीमित रूप में ही, वे अपने आसपास होनेवाली विभिन्न घटनाओं पर विवेकपूर्वक और संबंधमूलक विधि से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस चरण में बच्चों के लिए दूसरे बच्चों के साथ जुड़ाव और अपने करीबी दायरे में अपनी हैसियत का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा होता है। चूँकि स्कूल विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आनेवाले बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, समानता, न्याय, गरिमा और मानवाधिकार में निहित मूल्यों को समझने की संज्ञानात्मक क्षमता से लैस होने की आवश्यकता है। उन्हें सांस्कृतिक बहुलता के प्रति सकारात्मक सोच रखने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के महत्त्व को समझने की आवश्यकता है।

यह उपयुक्त अवस्था है—सूचना से व्यवहार करने, रचनात्मक तथा स्व-चिंतन, और स्व-अनुशासन के कौशलों के विकास की। ये कौशल उन्हें समर्थ बनाएँगे कि वे समूह में भागीदारी कर सकें, दूसरों के साथ ज़िम्मेदारी से संबंध बना सकें और समझ के साथ द्वंद्वों का निपटारा कर सकें। इसके साथ ही जेंडर, जाति, श्रेणी और धर्म पर आधारित संप्रदायवाद और भेदभाव जैसे हिंसा के रूपों के प्रति एक सूचित नकारात्मक रवैया विकसित

कर सकें। इसके अलावा उनमें ऐसी समझ के विकास की ज़रूरत है तांकि वे परिपक्वता के साथ भ्रष्टाचार, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों तथा मीडिया द्वारा जो कि हिंसक और अवस्वास्थ्यकर दिखाया जा रहा है उसे संबोधित कर सकें। इन सबमें ज़्यादा जरूरी है उन्हें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के उत्तरदायी नागरिक बनने की मूल अवधारणाओं में शिक्षित करना।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था में विद्यार्थी सामान्यत: अपनी अस्मिता से धीरे-धीरे परिचित होते जाते हैं। वे स्वतंत्र व्यक्ति बनने की कगार पर होते हैं यद्यपि उनमें परिपक्वता की कभी भी कमी नहीं होती है। परिणामत: यह क्रम साथियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ द्वंद्वों की ओर ले जाता है। इस चरण के दौरान विवेकपूर्ण सोच, संप्रेषण और स्व-अनुशासन के उनके कौशलों की जाँच हो जाती है। उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत है ताकि वे दिन-प्रतिदिन की बातचीत में निश्चित रूप में सामने आने वाले द्वंद्वों का संवाद और समझौते के माध्यम से निपटारा कर सकें। वैश्विक और पारिस्थितिकीय संदर्भों, अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रिता के बारे में जागरूकता विकसित करने की भी आवश्यकता है ताकि वे न्याय; शांति और अहिंसा जैसे मुद्दों पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य बना सकें। यह महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें न केवल शांति के ग्रहणकर्ता के रूप में समर्थ बनाया जाए बल्कि शांति के सक्रिय निर्माणकर्ता के रूप में भी।

3.2 शांति निर्माता के रूप में अध्यापक

विद्यार्थियों के लिए अध्यापक आदर्श होते हैं। अगर अध्यापक का शांति के प्रति रुझान नहीं हैं, तो वे अनजाने में हिंसा का दुष्प्रचार करने में भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है, "जो मैं जानता हूँ वही पढ़ाता हूँ और जो मैं हूँ वही सिखाता हूँ।" अध्यापक का पहला उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करना है और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना है। ऐसा सिर्फ़ उसके हित में ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी है। इस तरह अध्यापक की तुलना माली से की जा सकती है जो ज्ञान और अच्छे संस्कारों का बीज बोता है, उसे ममत्त्व और करुणा के पानी से सींचता है और अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। अच्छे शिक्षक शांति मूल्यों के आदर्श होते हैं जैसे इनमें सुनने की कला, गलती को पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होती है, ये अपने द्वारा किए गए काम की ज़िम्मेदारी लेते हैं, चिंताओं को साझा करते हैं और मतभेदों से परे एक-दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं। यदि ये शांति का उपदेश न भी दें तो भी शांति के लिए शिक्षा देते हुए प्रतीत होते है, अपने हाव-भावों से।

कुछ समाचार शीर्षक

- अध्यापक ने आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ की (हिंदुस्तान टाइम्स, – 4 दिसंबर 2004)
- अध्यापक ने छात्र को कलम से अंधा किया (तीसरी कक्षा के छात्र द्वारा-कक्षा में ध्यान न देना) (हिंदुस्तान टाइम्स, – जनवारी 2005)
- वर्तनी की गलती पर कक्षा तीन के छात्र की पिटाई (हिंदुस्तान टाइम्स, 16 जनवारी 2005)
- अध्यापक ने पाँच साल की बच्ची के बाल खींचे, खड़ा रखा (कला संबंधी कार्य के लिए प्लास्टिक बैग न लाने के लिए।) (हिंदुस्तान टाइम्स, 17 मार्च 2005)

जो अध्यापक कक्षा में बच्चों पर मार-पिटाई के जरिए "अनुशासन" थोपता है वह समस्या को हल करने की रणनीति के रूप में हिंसा को ही अनुकरणीय बना देता है। कक्षा में सकारात्मक वातावरण कायम करने में अध्यापक की भूमिका सर्वोच्च होती है। एक अध्यापक जो अपनी अभिवृत्तियों, सोचने के स्वाभाविक तरीकों और शिक्षण के उपागम को आवश्यक रूप से आमंत्रित कर सकता है। वह क्या पढ़ाता है और जो पढ़ाया है

उसमें हस्तांतरित मूल्य क्या हैं और इन्हें कैसे पढ़ाया गया है– वह शांति के लिए शिक्षा की पूंजी है।

बच्चे सलाह के लिए अपने कान बंद कर लेते हैं और उदाहरण के लिए अपनी आँखें खोल लेते हैं। यह भारतीय संदर्भ में एकदम उपयुक्त है जहाँ अध्यापकों को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्रोत माना जाता है। बच्चे तभी शांति संस्कारों को सीख पाएँगे जब उनके अध्यापक और बुजुर्ग व्यवहारत: आदर्श के रूप में इनको पेश करें। अगर वयस्कों की कथनी और करनी बेमेल निकली तो विद्यार्थी उसी का अनुकरण करेंगे जो सचमुच किया गया है। अध्यापकों को बच्चों के ऊपर अपने व्यवहार के प्रभाव के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों को "दूसरों की देखभाल" के लिए प्रेरित करने के बजाय इस मूल्य को व्यवहार में लाना और विद्यार्थियों को इसकी समझ खुद बनाने देना ज्यादा प्रभावी है।

3.3 शिक्षाशास्त्रीय कौशल और रणनीतियाँ

अध्यापकों के साझा शिक्षाशास्त्रीय लक्ष्य पाठ्यक्रम और परीक्षा पर केंद्रित होते हैं। शांति अभिमुख शिक्षाशास्त्र में बल सिर्फ़ संकल्पनाओं को याद करने या पाठ्यसामग्री रटने या वैयक्तिक लक्ष्य और श्रेष्ठता पाने पर नहीं होगा, बल्कि दूसरों के साथ सोचने-विचारने, साझा करने, खयाल रखने और सहयोग करने पर होगा। प्रत्येक विषय और अध्याय में शांति सम्मत (छिपा हुए या सुस्पष्ट) हिस्से होंगे जिन्हें सकारात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से सुनियोजित योजना के साथ बच्चों तक पहुँचाने की ज़रूरत होगी। अध्यापन पद्धतियाँ रचनात्मक, बाल केंद्रित, प्रयोगात्मक और समझदारीपूर्ण होनी चाहिए। इसमें सीखने के उपयुक्त अनुभव, चर्चाएँ, बहसें, प्रस्तुतीकरण, सामूहिक और सहकारी परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं। लेकिन यह सब विद्यार्थियों के परिपक्व स्तर और विषय सामग्री पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों में विभिन्न संस्कृतियों और मौलिक साझे मूल्यों के बारे में खुलापन और व्यापकार्थ विकसित करने के लिए अध्यापक और विद्यालय को अन्य संदर्भ-विशिष्ट रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। हिंसा से बचने के लिए असहमतियों और टकरावों को हल करने के शांतिपूर्ण उपाय अपनाने का महत्त्व विद्यार्थियों को समझाने के लिए हर विषय के पाठ्यक्रम में पर्याप्त संभावना है। शिक्षकों को इन संभावनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।

मानवीय और सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्याय को प्रस्तुत करना शिक्षा का मूल आधार है। अध्यापक को सकारात्मक भावनाएँ और अनुभव जगाने चाहिए, स्व को समझने में मदद करनी चाहिए, प्रश्न पूछे जाने पर पूछताछ संबंधी खुलेपन को बढ़ावा देना चाहिए, संस्कारों को खोजने और निर्माण करने की समझ होनी चाहिए और संस्कारों को प्रयोग में लाने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। प्रश्न, कहानियाँ, दंतकथाएँ, खेल, प्रयोगात्मक चर्चाएँ, संवादों, मूल्य स्पष्टीकरण, उदाहरण, समानुपात, रूपक और स्वाँग सरीखे उपकरण शिक्षण-अधिगम के जरिए शांति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कुछ शांति मूल्यों को उस समय उचित ढंग से समाविष्ट किया जा सकता है जब कोई विषय किसी विशेष स्तर या ग्रेड पर हो, जबकि अन्य को अलग ग्रेड में किसी दूसरे विषय के साथ अच्छे ढंग से मिलाया जा सकता है। विषयोचित और स्तर-ग्रेडोचित रणनीतियों को रेखांकित किए जाने की ज़रूरत है।

इस सारे परिदृश्य से यह निकलकर आता है कि शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा में अध्यापक ही अहम भूमिका निभा सकता है। यह तथ्य कि सिखाना बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए इसका विरोध नहीं करता। अगर अध्यापक पहल करें तभी शिक्षा बच्चों पर केंद्रित हो सकती है। विद्यार्थी-केंद्रित उपागम को इस तरह से यह समझना गलत होगा कि उसमें सीखने की प्रकिया के भीतर शिक्षक की भूमिका बहुत कम रह जाती है। शांति के लिए शिक्षा में काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक खुद शांति के लिए कितना प्रेरित-उत्साहित है। शिक्षक को शांति के अवसरों के प्रति सजग रहना होगा और रचनात्मक तरीके से उनका पूरी पाठ्यचर्या में विनियोग करना होगा। जो अध्यापक या तो

आक्रामक हैं या फिर जिन्हें शांति की संस्कृति से कोई मतलब नहीं और जो अध्यापन को सिर्फ़ सूचना के गोदाम की तरह देखते हैं, वे उस अवसर से वंचित रहेंगे जो प्रत्येक अध्याय और अनुभव स्कूल में शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में उपलब्ध कराता है।

शिक्षण-अधिगम संबंधी गतिविधियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिन्हें विषय सामग्री में समाविष्ट किया जा सकता है। अध्यापक इस बात का सही निर्णय कर सकता है कि इनका प्रयोग कहाँ करना है।

बच्चों से कहा जा सकता है:

- उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है। हम वस्तुएँ माँगते समय, सुनते समय और बात करते समय किस प्रकार आदर का प्रदर्शन कर सकते हैं? (परिवेश संबंधी/अध्ययन भाषा)।
- 'सहयोग' शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से व्यक्त करना (भाषा)।
- कठपुतलियों का प्रयोग करते हुए उचित शब्दों एवं मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करें कि द्वंद्वों के हल शांतिपूर्ण ढंग से कैसे होते हैं। (पर्यावरणीय अध्ययन (ई.वी.एस./भाषा)।
- शांतिपूर्ण संसार की कल्पना करें और सोचें कि यह कैसा दिखेगा (सामाजिक विज्ञान)।
- यह बतलाना कि गुस्सा शांति का कैसे नाश करता है (सामाजिक विज्ञान/भाषा)।
- विरोधाभास को व्याख्यायित कीजिए: हर कोई शांतिपूर्ण संसार चाहता है, लेकिन संसार ऐसा नहीं है। क्यों? उन कारकों/बाधाओं का उल्लेख कीजिए जो शांति की राह में आते हैं (सामाजिक विज्ञान)।
- अगर हम शांतिपूर्ण संसार चाहते हैं तो उन बदलावों को पहचानिए जिन्हें लाने की जरूरत है। इन बदलावों में किसी व्यक्ति की निजी भावनाएँ और मूल्य भी शामिल हैं (सामाजिक विज्ञान)।
- ऐसी अधिक से अधिक संभव गतिविधियों का पता लगाएँ जो अच्छी हैं और हम अपने हाथों से अन्य के साथ मिलकर कर सकते हैं (भाषा)।
- शांति संदेश के साथ अधूरी कहानी को विभिन्न तरीकों से पूरा करें (भाषा)।
- व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के प्रति मदद करने वाले और खयाल रखने वाले भाव, तरीके, मुद्राओं का प्रदर्शन करें (भाषा)।
- पेड़, झाड़, विभिन्न नागरिक सुविधाओं वाली वस्तुओं की भूमिका निभाना, यह दिखाना कि ये कैसे हमें लाभ पहुँचाती हैं (ई.वी.एस./भाषा)।
- तसवीर पर आधारित कहानी, कविता, विचार को चार्ट पर प्रदर्शित करना। वास्तविक होने के अलावा कहानी कोई सामाजिक या नैतिक संदेश देने वाली भी हो सकती है (भाषा)।
- दूसरों के प्रति संवेदनशील, सहनशील होने पर कहानी लिखना। विभिन्न विषयों पर अखबारों की क्लिपिंग, पत्रिका, लेख इकट्ठे करना। और दीवार पत्रिका बनाना (भाषा)।
- टीमवर्क, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमजोर विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का हल निकालना (ई.वी.एस./सामाजिक विज्ञान)।
- एक वस्तु दिखाइए, उदाहरण के लिए, फूल और बच्चों से कहिए उस पर कुछ पंक्तियाँ, कविता या गीत लिखें जिसमें फूल या अन्य वस्तु की विशेषताओं की तुलना अच्छे व्यक्ति से की जाए (भाषा)।
- कुछ नियत अक्षरों की मदद से विभिन्न मूल्य संबंधी शब्दों का निर्माण करिए। उदाहरण : ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसी विशेषताएँ, उनके बीच नया सहयोग बनाना (भाषा)।
- ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य दर्शाने वाली कविता या गीत का सृजन (भाषा)।
- दो दोस्तों के बीच गलतफहमी को लेकर पत्र लिखना। किसी को नीचा दिखाए बिना समस्या का समाधान प्रस्तुत करना (भाषा)।
- हिंसा के शिकार लोगों की दुर्दशा में अपने होने की कल्पना करना। उदाहरण : आप रिश्वत दे रहे हैं, आपको शर्मसार किया गया, किसी का जीवन खतरे

में है, इस भय में जीना लालफीताशाही का शिकार होना इत्यादि। यह बताना कि पीड़ित होने का क्या अर्थ होता है?

- ऐसे व्यक्ति के काम को संग्रहित कीजिए जो अधिक जाना-पहचाना न हो लेकिन उसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया हो। उसकी खूबियों का विश्लेषण भी कीजिए (सामाजिक विज्ञान)।
- समुदाय या इलाकों की ऐसी समस्याओं की पहचान कीजिए जिनके लिए रचनात्मक हल की ज़रूरत हो (सामाजिक विज्ञान)।
- "अध्यापक के जीवन का एक दिन" विषय पर लेखन (भाषा)।
- सड़क के बच्चों की मदद के लिए विभिन्न उपायों की कल्पना करना। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी संपादक को लिख सकते हैं कि किस प्रकार दूसरों की अधिक देखभाल की जा सकती है। विशेषकर छोटों और ज़रूरतमंदों की (भाषा)।
- स्थानीय अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना जिससे विद्यार्थी समाज के इस तबके के अकेलेपन, दर्द और मज़बूरी को महसूस कर सकें।
- कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं और फिल्म शो इत्यादि का आयोजन करना जिनमें मानव जाति के लिए प्यार और चिंता समाहित हो। यहाँ अंग प्रत्यारोपण विज्ञान और नैतिकता को लिया जा सकता है। जहाँ अवैज्ञानिक अनुमान और चिंताएँ उन लोगों की राह में आड़े आ जाती हैं जिन्हें इनसे लाभ हो सकता है।
- सालों से हो रहे पारिस्थितिकी बदलावों और फसलों पर उनके प्रभाव पर परियोजना विकसित की जा सकती है। यह परियोजना विशेषकर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्त्व रखती है। पर्यावरण संबंधी ह्रास किस प्रकार गरीबों को प्रभावित कर सकता है चर्चा करिए।
- नाटकों, सामूहिक गान और समूह कार्य इत्यादि द्वारा सामाजिक कौशल के विकास के मौके उपलब्ध कराएँ।
- एक सर्वे के जरिए यह पता लगाएँ कि गाँव, कस्बों या हमारे पड़ोस में रहने वाले 14 साल से कम उम्र के कितने बच्चे स्कूल में नहीं हैं। इसके कारण का भी पता लगाएँ।
- अखबार की सामग्री, समाचारों और सामयिक विषयों पर चर्चा का आयोजन करें।
- चुनिंदा विषयों पर टकराव-समाधान-सत्र का आयोजन करें।
- हिंसा से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करें। विद्यार्थियों को हिंसा के अपने अनुभवों से अवगत कराएँ जिससे कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी भय और चिंता से निपटने की रणनीति समझ सकें।

3.4 कक्षा में होने वाले आदान-प्रदान में शांति के सरोकारों को समाहित करना

कुछ उदाहरण

विज्ञान

चुम्बकीय क्षेत्र के उदाहरण पर विचार करें। अध्यापक कागज़ के नीचे चुम्बक को रखता है और ऊपर लौहचूर्ण उड़ेल देता है। छिपे हुए चुम्बक द्वारा पैदा हुए बल से लौह चूर्ण एकदम जटिल बनावट बन जाता है। फिर अध्यापक चुम्बक को बदलता है और उसी लौह चूर्ण को बिखेरता है। इस बार लौह चूर्ण बिलकुल ही अलग आकार ग्रहण करता है। इसमें जो बदला गया वह चुम्बक था। अध्यापक अध्याय यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन शांति अभिमुख अध्यापक ऐसा नहीं करते। उनके लिए यह प्रयोग यह

दर्शाता है कि मतारोपण और जन उन्माद के शिकार लोगों के साथ क्या हुआ होगा। विवेकपूर्ण सोच और दायित्वपूर्ण व्यवहार वाले विश्वसनीय व्यक्ति होने की उनकी क्षमता का अपहरण शक्तिशाली निहित स्वार्थो ने कर लिया है । वे उन व्यवहारों और कठिनाइयों में जीने के लिए बाध्य होते हैं जो दूसरों द्वारा संचालित होती हैं। तब शिक्षक हिंसा की प्रकृति पर प्रकाश डाल सकता है। हिंसा किसी की नैतिक समझ, तर्कपूर्ण चिन्तन और मानवीय संवेदनाओं का दमन करती है। हिंसा हमें जड़ बना देती है। जब संदर्भ बदलता है हमें अपने आचरण पर पछतावा होता है।

इतिहास

मुगल सम्राट अकबर पर एक अध्याय : *अध्यापक इस अध्याय का प्रयोग अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को विद्यार्थियों को समझाने के लिए कर सकते हैं। इन बिंदुओं को महत्त्व दिया जा सकता है : (अ) धार्मिक सौहार्द्र हमारी सांस्कृतिक धरोहर का मूल है।(ब) असत्य और अन्याय का सहारा लेकर कुछ समुदायों और समूहों के बारे में रूढ़ धारणाएँ बनाई जा रही हैं। (स) आज के समय में धार्मिक सहिष्णुता की ज़रूरत है। (द) शांति की संस्कृति और युद्ध की संस्कृति में वैषम्य युद्ध की संस्कृति में धर्म हिंसक बन जाते हैं।*

यहाँ यह कहा जा सकता है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति मूल्यों को शामिल करने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि विद्यालयी विषयों को शांति के लिए शिक्षा के वाहनों की तरह प्रयोग किया जाए। न ही उसे संबंधित विषय को रुचिकर बनाने का माध्यम ही समझा जाए। शिक्षा आयोग (1964-66) अपनी रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी देता है, ''अध्यापक को हर समय पाठ में निहित नैतिकता का उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने विषय की परिधि में आने वाले मूल्यों पर और अपने अध्यापकीय दायित्व पर थोड़ा सोचा-समझा है, तो वह सोच स्वयं ही उसके अध्यापन का अंग बन जाएगी और विद्यार्थियों के मन पर समुचित प्रभाव डालेगी।"

4. शांति के लिए शिक्षा के सीमांत

चूँकि युद्ध मानव मस्तिष्क से शुरू होता है तो शांति की रक्षा के लिए भी मानव मस्तिष्क को ही सक्रिय होना पड़ेगा।

यूनेस्को के संविधान का प्राक्कथन

"जो युद्ध चाहते हैं वे युवाओं को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। जो शांति चाहते हैं उन्होंने बच्चों और किशोरों की अनदेखी की है इसलिए वे उन्हें शांति के लिए संगठित करने के अयोग्य हैं।"

मारिया मान्टेसरी

स्वयं के अंदर के द्वंद्व और कुंठाएँ

दस वर्षीय रानी (छद्म नाम) एक प्रतिष्ठित अँग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ती थी। अचानक उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसने बदतमीजियाँ शुरू कर दीं। वह अपने सहपाठियों की कलमें चुराती और टिफ़िन बॉक्स तोड़ देती। शिक्षिका ने इस पर उसे जमकर डाँट पिलाई। रानी घर लौटी। उसने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। उसे 50 फीसदी जलने के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों तक वह मौत से जूझती रही आखिरकार उसने दम तोड़ दिया।

उसके स्तब्ध माता-पिता बोले, "हम कहाँ गलत थे?" रानी ने हम में वैयक्तिक और सामूहिक अपराध की भावना को जागृत किया। हम जानते हैं, हमने व्यवस्थाओं की ऐसी कड़ी तैयार की थी जिसमें बच्चों की मासूमियत की अनदेखी हो रही है। क्या रानी हिंसक माहौल में बड़ी हो रही थी? उसमें आक्रामकता के शुरुआती संकेतों को स्कूल को कुछ अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए था?

देश भर के विद्यालय शैक्षिक लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं और चारित्रिक लक्ष्य की अनदेखी कर रहे हैं। कई बच्चे न तो स्वयं प्रसन्न रहते हैं, न ही दूसरों को प्यार करते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रूरता हर जगह और बढ़ते स्तर पर देखी जा सकती है। जैसे गुंडागर्दी की हद तक चिढ़ाना, चुगलखोरी, अशालीनता, अभद्र भाषा का प्रयोग और चोरी। रानी सरीखी त्रासदियाँ हमें इस बात के लिए सतर्क करती हैं कि हम बच्चों के नैतिक विकास की अनदेखी कर रहे हैं।

4.1 व्यक्तित्व निर्माण

अन्य चीजों के अलावा जिस युग में हम जी रहे हैं इसके दो मुख्य अंग हैं। पहला, यह अभूतपूर्व भौतिक तरक्की का युग है। दूसरा, इसे सार्वभौमिक स्तर पर मानवीय पूँजी के ह्रास के रूप में चिह्नित किया गया है। भौतिक तरक्की और मानवीय आधार में असंतुलन हमारे समय में बढ़ती सामाजिक बीमारियों का मुख्य कारण है।

हम इस संभावना की अधिक समय तक अनदेखी नहीं कर सकते कि शिक्षा का मौजूदा स्वरूप इस दु:खद स्थिति को ही बढ़ावा देगा। असंतुलित व्यक्तित्व-निर्माण—दिल और दिमाग के बीच अलगाव—मौजूदा शिक्षा का उपोत्पाद है। सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मकता की संपूर्ण अनदेखी और संज्ञानात्मकता पर विशेष बल को लंबे समय से शिक्षाशास्त्रीय पथभ्रष्टता के रूप में पहचाना जाता रहा है। सही निदान के बावजूद, सीखने की प्रक्रिया का संचालन केवल कक्षाओं तक ही पूरी तरह सिमटकर रह गया है, यह इस असंतुलन को बढ़ाता ही गया है। कक्षा के आदान-प्रदान, पाठ्यचर्या निर्माण, अध्यापक शिक्षा ओर आँकने के तरीकों की वर्तमान प्रवृत्ति ने इसे उकसाया और सहारा दिया है।

विद्यालयी शिक्षा में तार्किक, भाषायी, भावनात्मक और संप्रेषण कौशल को विकसित करने संबंधी ज़रूरत की उपेक्षा के कारण बुरे प्रभाव पड़े हैं जिन्हें पहचाने जाने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के भावनात्मक विकास और बौद्धिक निर्माण संबंधी खोए हुए संतुलन को वापस लाने की ज़रूरत है। भावना और बुद्धि का विरोधी ध्रुवों पर होना एक भयंकर विचलन है। इनका आपसी अलगाव दोनों को ही नीचा दिखाता है। भावनात्मक मेधा सूचना के हिमालय पर सफलता प्राप्त करने के स्थान पर समेकित समझदारी की दिशा में ले जाती है जो संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का रहस्य है।

4.2 सौहार्द्र के साथ मिल-जुलकर रहना सीखना

हम सामाजिक जीव हैं, आत्मनिर्भर द्वीप नहीं। गांधीजी ने आत्मनिर्भरता की बात कही थी लेकिन इसे स्वत: संपूर्ण समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक-दूसरे की ज़रूरत है। परस्पर-निर्भरता स्वावलम्बन का मानवीय चेहरा है। हम दूसरों से अपने को कैसे जोड़ते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, यही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। ऐसे में ज़रूरत है ऐसी शिक्षा की जो विद्यार्थियों में ऐसे मूल्य और कौशल के बीज बो सके जो उन्हें दूसरों के साथ मिल-जुलकर रहना सिखाएँ। जेम्स डेलर्स ने "*लर्निंग: द ट्रेज़र विदिन*" में कहा है कि "सौहार्द्र के साथ मिल-जुलकर रहना" शिक्षा के चार स्तंभों में से एक है।

वर्तमान शिक्षा सौहार्द्र से मिल-जुलकर जीने की कला को प्रोत्साहित करने के लिए अपर्याप्त है। तथ्यों और वस्तुओं के साथ जुड़ने के लिए शुरू से ही विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की भावना में प्रशिक्षित और पोषित किया जाता है। सीखना ऐसे परिवेश में स्थान पाता

है जो संबंधों और वास्तविकता की दुनिया से कोसों दूर है। इस तरह के सीखने में शामिल हैं, जैसा चार्ल्स डिकेंस "हार्ड टाइम्स" में कहते हैं "तथ्य, तथ्य और तथ्यों के अलावा कुछ नहीं।" भावनात्मक और संबंधात्मक अभाव को श्रेष्ठता के वैयक्तिक विचार से पाला-पोसा जाता है। इस तरह का दृष्टिकोण शिक्षा के उद्देश्य को "व्यवस्था को अपने लाभ के लिए दुहने और मालिश करने के कौशल" तक सीमित करता है। शिक्षा के इस तरह के दृष्टिकोण में हिंसा के लिए ज़रूरी शक्ति छिपी हुई है।

4.3 उत्तरदायी नागरिकता

शिक्षा का असल उद्देश्य युवाओं को नागरिकता संबंधी कर्तव्यों को ठीक से निभाने के लिए प्रशिक्षण देना है। बाकी अन्य लक्ष्य तो आकस्मिक हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, अक्तूबर 1952-जून 1953, पृष्ठ-101

सभी भारतीय आपस में जो साझा करते हैं, वह धर्म नहीं नागरिकता है। नागरिकता राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का ढाँचा है। उतरदायी नागरिकता सामूहिक शान्ति के लिए सांचा भी है। अब भी, शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में नागरिकता शिक्षा की अनदेखी की जाती है। नागरिकता व्यक्तियों की निष्ठा और चेतना के बहुध्रुवी विस्तारण के इर्द-गिर्द घूमती है। इसे हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। इसकी शुरुआत समुचित शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। वृद्धि के साथ स्व-चेतना से दूसरों के लिए चेतना का धीरे-धीरे विस्तारण होता है। सिर्फ़ अपने बारे में सचेत होने से आगे बढ़कर व्यक्ति खुद को एक परिवार, पास-पड़ोस, गाँव, नगर, एक धार्मिक समुदाय, एवं एक राष्ट्र और इन सबसे परे विश्वग्राम के सदस्य के रूप में पहचानने लगता है । प्रत्येक स्तर पर चेतना का विस्तारण, निष्ठा का परिमार्जन और प्राथमिकताओं का पुन:समायोजन होता है। बच्चों के लिए शैक्षिक प्रगति मापने के लिए अनिवार्य विषयों में अर्जित किए गए अंकों को ही मापदंड नहीं बनाना चाहिए बल्कि साथ यह भी देखना चाहिए कि एक कुल या जाति का सदस्य होने से आगे बढ़कर नागरिक होने की दिशा में उनकी चेतना कितनी दूरी तक जा सकी है। नागरिकता व्यक्तिगत चेतना के विभिन्न केंद्रों के आत्मोत्सर्ग की माँग भी नहीं करती, बल्कि उनके कार्य निष्पादन संबंधी सामंजस्य की माँग भी करती है। उदाहरण के लिए, एक आज्ञाकारी बेटी, सक्षम व्यावसायिक, एक हिंदू या मुसलमान या एक देशभक्त भारतीय भी हो सकती है, बशर्ते इन सबकी निष्ठाओं में सामंजस्य बना ले। *इनके बीच द्वंद्व की स्थिति में, जिम्मेदार नागरिकता मांग करती है कि इसे नागरिकता के पक्ष में हल किया जाए।* नागरिक की पहली निष्ठा संविधान के प्रति है। धार्मिक आस्था संवैधानिक अधिदेश पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकती। जब धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के नागरिक राष्ट्रीय हितों के लिए वंश, जाति या धर्म के प्रति निष्ठा से ऊपर न उठें, तो यह एक गंभीर समस्या है। यह समस्या उस समय और भी बड़ी हो जाती है, जब यह निष्ठाएँ संविधान के विरोध में उठ खड़ी हों। नेहरू की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और वैज्ञानिक आत्मसंयम के माध्यम से जाति एवं वर्ग विहीन समाज का सपना अगर झूठा सिद्ध होगा तो ऐसी नागरिकता शिक्षा की अनदेखी के कारण ही होगा। आज जातिवाद इतनी हॉवी है कि मताधिकार के प्रयोग को अकसर "किसी के वोट डालने" के स्थान पर "किसी जाति को वोट" डालना कहा जाता है।

नागरिकता लोकतंत्र का सार है। निश्चय ही यह नहीं हो सकता कि हम नागरिकों को संविधान के मूल्यों और दृष्टिकोण से अनभिज्ञ रखें और फिर उनसे ज़िम्मेदार नागरिक बनने की आस लगाएँ। इस काम को आज जितना जल्दी हो सके करने की ज़रूरत है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल.पी.जी.) के युग से पहले हम व्यक्तियों से सामुदायिक और नागरिकता चेतना की निश्चयपूर्वक उम्मीद कर सकते थे। एल.पी.जी. में चलनेवाली उपभोक्तावादी और सुखवादी जीवनशैली नागरिकों को उपभोक्ता बना देती है। एकवाद उपभोक्तावाद का सार है, यह पारस्परिकता का क्षरण करता है और व्यक्ति में अपने कर्त्तव्यों को नज़रअंदाज़ करने की भावना डालता है। वे राष्ट्र से सिर्फ अपने हित के लिए जुड़ते

हैं। शिक्षित व्यक्ति का नागरिकता संबंधी कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहना शिक्षा के उद्देश्य को ही पस्त कर देता है।

4.3.1 नागरिकता और समाजवाद

शैक्षणिक दृष्टि से भारतीय संदर्भ में समाजवाद के लिए गरीबी और असमानता में वृद्धि महत्त्वपूर्ण मसले हैं। शिक्षा में शांति संबंधी रुख में इन चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए। असमानताएँ क्रमिक वैश्विक दृष्टिकोण के ज़रिए मज़बूत और स्थायी तो होती ही हैं साथ ही वैधता भी पाती हैं। शिक्षा को अगर इसी दृष्टिकोण से चलाया जाता है तो यह गरीबों में असमानता और नि:सशक्तीकरण को बढ़ावा देगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक शैक्षिक उद्यम में संशोधन नहीं किया जाता। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना समायानुसार उपचारात्मक कदम है। शांति का समग्र दृष्टिकोण ज़रूरी है अगर इस संभावनाशाली क्रांति की पूरी संभावनाओं को मूर्त करना है तो। गरीब बच्चों के लिए कक्षा की व्यवस्था करना एक बात है, लेकिन एक व्यवस्था तैयार करना जिसमें सारे संसाधन हों, जो इस अवसर से लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाती है, बिलकुल दूसरी बात है।

सामाजिक अखंडता की दिशा में शांति सम्मत शिक्षा को गरीबी के मकड़जाल को उजागर करना चाहिए, नहीं तो शिक्षा का संवैधानिक अधिकार एक भ्रम बना रहेगा। गरीबी नीति संबंधी विकल्पों और प्राथमिकताओं का परिणाम है न कि दुर्घटना का। सख्ती से कहा जाए तो दुर्घटनाएँ भी आकस्मिक नहीं होतीं। गरीबी को हटाया जा सकता है और इसके लिए ज़रूरत है राष्ट्रीय प्राथमिकता की। शिक्षा के जरिए संपूर्ण समाज की खोज के लिए गरीबी से संबंधित मसलों को छेड़ना ज़रूरी है, साथ ही इसके लिए रीति-रिवाज़ों और बहिष्कार की व्यवस्था को खारिज़ करने की दृष्टि रखनी होगी। कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, निम्न हैं:

- विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच की खाई को कम करना। इसकी सिफारिश कोठारी आयोग (1964-66) ने की थी।
- राष्ट्रव्यापी स्तर पर शैक्षिक बुनियादी ढाँचे और तकनीक का मानकीकरण, विशेषकर शहरी-ग्रामीण विभाजन की भयावहता को दिमाग में रखते हुए।
- अध्यापकों की क्षमता, प्रेरणा और कौशल को बढ़ावा देना। इस संदर्भ में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा है।
- अनुकूल आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना जिसमें ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में विद्यालय छोड़ने की दर को कम किया जा सके।
- बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देना।
- जाति, गरीबी और लैंगिकता से जुड़ी परंपरागत रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों का सफाया करना।
- पाठ्यपुस्तक के जरिए जाति, लिंग, रंग, आर्थिक स्तर और कर्म का खयाल किए बिना मानव मात्र की समानता, अधिकारों और गरिमा का सम्मान करने की भावना फैलाना।

भूमि स्तर के यथार्थों को देखते हुए *इस बात के पर्याप्त कारण हैं कि शिक्षा के मामले में ग्रामीण और जनजातीय भारत के पक्ष में (या उलटे भेदभाव) के सिद्धांत को लागू किया जाए।* अत्यधिक असमानताओं के संदर्भ में सभी से समान व्यवहार असमानता को ही आगे बढ़ाएगा। आज ग्रामीण और जनजातीय भारत में शैक्षिक परिदृश्य में सुधार ही प्राथमिकता होनी चाहिए। शांति के लिए शिक्षा में यह एक निश्चित सरोकार है।

4.3.2 नागरिकता और धर्मनिरपेक्षतावाद

हमारी परंपरा सहनशीलता सिखाती है।
हमारा दर्शन सहनशीलता का उपदेश देता है।
हमारा संविधान सहनशीलता का आचरण करता है।
आइए इसे कमजोर न होने दें।

(भारतीय सर्वोच्च न्यायालय : बिजोसे इमेनुअल बनाम केरल राज्य मामले में, ए.आई.आर., 1987 एस. सी. 748)

हालाँकि "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को 42वें संशोधन के तहत 1976 में भारतीय संविधान के प्राक्कथन में शामिल किया गया था, फिर भी धर्मनिरपेक्षतावाद संविधान का पारिभाषिक विशेषण है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। इसे आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 15 और 16, जो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव से सभी

नागरिकों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 19 और 21 सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 27 राज्य को किसी धर्म के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने से रोकता है। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को विवेक की आजादी और अपनी आस्था को “व्यवहार में लाने और प्रचारित” करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 के द्वारा धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में उन्हें अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अभिप्राय और इसमें निहित दर्शन कई बार न्यायिक जाँच और विचारधारात्मक असंतोष के तहत आ चुके हैं। सविधान के निर्माता इसे धर्मनिरपेक्षता का मूल मानते थे।

धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कुछ मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय संदर्भ में शांति के लिए शिक्षा से जोड़े जाने की ज़रूरत है:

- विविधता के लिए सम्मान
- अंधविश्वास के विलोम के रूप में वैज्ञानिक अभिवृत्ति और आलोचनात्मक जाँच की भावना।
- भारतीयों के रूप में अपनी साझी पहचान को सुदृढ़ करना। जिससे भारत के लिए साझे दृष्टिकोण से किलेबंदी की जा सके ताकि विभाजक संवेदनाओं और पूर्वाग्रहों को कम किया जा सके। हमने भारत का निर्माण किया है। अब हमें ऐसे भारतीयों के निर्माण की दिशा को संबोधित करना है, जो सभी विभाजक बाधाओं को पार कर सकते हैं और स्वयं को राष्ट्रनिर्माण के काम में लगा सकते हैं।
- विशिष्ट धार्मिक निष्ठा से व्यापक आध्यात्मिक मूल्यों की ओर रुख करना।

4.3.3 नागरिकता और लोकतंत्र

शिक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय लोकतंत्र के दो महत्त्वपूर्ण आयाम हैं: (अ) द्वंद्वों का हल और मेल-मिलाप (ब) लोगों की भागीदारी। हिंसा का रुख किए बिना संघर्षों को निपटाने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठ व्यवस्था लोकतंत्र है। मतभेद प्रत्येक समाज का प्राकृतिक हिस्सा हैं। संघर्षों का जन्म मतभेदजन्य असंगति से होता है। जैसे कि, विचारों, विश्वास, विचारधारा, संस्कृति आदि में मतभेद। हम इन विवादों को शांति या हिंसा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हिंसक हल में संघर्ष से मुक्ति प्रभावी समूह के खिलाफ वाले लोगों को आत्मसात् करने या उनके सफाये में निहित है। शंतिपूर्ण हल विविधता के लिए सम्मान विकसित करने या मतभेदों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना है। साथ ही साथ उन्हें ऐसे रास्ते पर ले आना है जिससे वे संपूर्ण प्रणाली को धता बताए बिना मतभेदों के साथ रहने लगते हैं। यही “लोकतांत्रिक संस्कृति” का निचोड़ है जिसके विकास के लिए भारत को शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

शिक्षा जन भागीदारी का मूल है, जोकि लोकतंत्र की पहचान है। निरक्षरता लोकतंत्र को अपाहिज बना देती है। निरक्षरों की भागीदारी चुनाव होने पर वोट डालने तक सीमित रह जाती है। इस तरह के लोकतंत्र में लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार नहीं हो सकती। साक्षरता अपने आप में लोकतांत्रिक भागीदारी की पहल करने में सक्षम नहीं है। सहभागिता के लिए शांति पूर्वापेक्षा है। हिंसा सभी का दमन करती है, सिर्फ़ उन्हें छोड़कर जो सत्ता पर स्थापित होते हैं। दीर्घकालिक विवादों या युद्ध की स्थिति में नागरिकता का अधिकार निष्क्रिय हो जाता है। लोग शांति की स्थिति में ही सशक्त हो सकते हैं। जो लोकतंत्र शांति की संस्कृति को ग्रहण करने में असफल रहता है, वहाँ उसके कुलीनतंत्र, तानाशाही या फासीवाद में तब्दील होने का खतरा रहता है जैसा कि हिटलर की जर्मनी में हुआ।

शिक्षा के माध्यम से अपवर्जन के प्रत्येक रूप का राष्ट्र के जीवन, संसाधनों और अवसरों से सफाया करना लोकतंत्र में शांति के एजेंडा का मूल सत्त्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति के लिए शिक्षा शक्तिशाली और ज़रूरी साधन है। बाह्यकरण की कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं:

- *गरीबी*: गरीबी शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था में दो मुख्य कमियों के लिए ज़िम्मेदार है, शिक्षा की विभिन्न धाराओं में ज़मीन आसमान का अंतर और ग्रामीण

और जनजातीय भारत में स्कूल छोड़ने की उच्च दर। एल.पी.जी. के चलते अमीर और गरीब के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है, ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि गरीबी संबंधी आयामों को तुरंत और साहस के साथ शिक्षा में समाहित किया जाए।

- *जाति:* जाति व्यवस्था का सफाया संवैधानिक शासनादेश है। जाति व्यवस्था हमारी सामाजिक पूँजी को जड़ बना देती है और लाखों लोगों को प्रगति की दौड़ से बाहर कर देती है। सामाजिक ह्रास और आर्थिक निशक्तिकरण सीधे तौर से लोकतांत्रिक संस्कृति पर जाति संबंधी निरंकुशता से जुड़ा है। शांति के लिए शिक्षा जाति व्यवस्था के सफाए को एक शांतिपूर्ण क्रांति का रूप दे सकती हैं।
- *जेंडर:* द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमीनेशन अगेन्स्ट वूमेन (सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.)– जिसे अक्सर महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में जाना जाता है। महिलाओं के प्रति भेदभाव को इस तरह व्याख्यायित करता है।

> ....लिंग के आधार पर कोई भी पृथकीकरण, निष्कासन या प्रतिबंध जिसका लक्ष्य महिला के काम को छिपाने या कम आँकने का है...राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में स्त्री–पुरुष के बीच समानता, मानवाधिकार और मौलिक आज़ादी के आधार पर।

भारत भी इसका सदस्य है। हम लैंगिक न्याय की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य हैं। इस संबंध में कई स्वयंसेवी संगठन काम कर चुके और कर रहे हैं। हम अब भी उन व्यवस्थापरक और व्यावहारिक बदलावों से दूर हैं जो लैंगिक न्याय की माँग करते हैं। हिंसा, अश्लीलता और लिंग संबंधी अपराधों में वृद्धि हो रही है। महिलाएँ कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थलों और यहाँ तक कि घरों में भी असुरक्षा और भेदभाव का सामना कर रही हैं। कई क्षेत्रों में तो बालिका भ्रूण को भी नहीं बख्शा जाता। दुल्हनों को जलाना बदस्तूर जारी है। महिलाओं द्वारा किए गए काम को न तो सही ढंग से पहचाना गया है और न ही उन्हें पुरस्कृत किया गया है। दुखद बात तो यह है कि पाठ्यपुस्तक लेखन में भी लड़कियों या महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया गया है। जो चित्र पाठ्यपुस्तकों में दिए जाते उनमें लड़के और पुरुष ही होते थे। और उन्हें श्रेष्ठ भूमिका प्रदान की गई है। जहाँ लड़कियों और महिलाओं की बारी आती है, वहाँ उन्हें कम आँका जाता है। यह महिलाओं की छवि को रूढ़ करते हैं और इस प्रकार उन पर हीनता को थोपा जाता है।

- *लोकतंत्र और अल्पसंख्यक:* अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में निहित लोकतांत्रिक तर्क को विद्यार्थियों को समझाने के लिए विशेष जोर दिए जाने की ज़रूरत है (संदर्भ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30)। अगर धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए जाते हैं, तो लोकतंत्र के बहुसंख्यकों की तानाशाही की ओर उन्मुख होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में उचित प्रावधान किए जाने को “अल्पसंख्यक तुष्टीकरण” नहीं समझना चाहिए। बल्कि यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को लोकतांत्रिक संस्कृति को बल प्रदान करने वाले के रूप में लेना चाहिए।

4.4 राष्ट्रीय एकता

राष्ट्र का जीवन हर समय क्रमिक विकास की स्थिति में रहता है। इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक परंपराएँ मुख्य भूमिका निभाती हैं। यही सपनों के भारत को आकार प्रदान करती हैं। बाद के समय में संस्कृति की परिकल्पना संबंधी संघर्ष विशेष महत्त्व रखते थे। संस्कृतियों के निवर्तमान मुकाबले में त्रिकोणीय शैली को देखा जा सकता है।

- सांस्कृतिक एकरूपता
- सांस्कृतिक बहुरूपता
- सांस्कृतिक उपाश्रयवाद

लोकतंत्र की भाषा में, भारत के लोग समांगीकरण के खिलाफ अपनी भावनाएँ जता चुके हैं और कुल मिलाकर

भारत की आत्मा से भी परिचित हैं। धार्मिक, भाषिक और सांस्कृतिक बहुरूपता हमारे इतिहास और धरोहर में अंतर्निहित है। आज हमें इस विलक्षण नींव पर निर्माण करना है। हमारे समाज का निचला तबका भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य से गायब रहा है। हाल के समय में हुए महत्त्वपूर्ण और भविष्यात्मक विकास हैं दलितों का जागना। इस नए उबाल या रुझान को भारतीय संदर्भ में शांति के लिए शिक्षाशास्त्र में जोड़े जाने की ज़रूरत है। उपरोक्त की रोशनी में शिक्षा होनी चाहिए:

- जागरूकता को प्रोत्साहित कर और सांस्कृतिक विविधता और बहुलता के उत्सव के लिए।
- राष्ट्रीय संदर्भ में उभरते निचले तबके के उफान की हकीकत को प्रतिबिंबित करने, इसकी ओर सकारात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने और पाठ्यचर्या में इसे पर्याप्त स्थान देने के लिए।

4.5 जीवनशैली के रूप में शांति के लिए शिक्षा

युद्ध और हिंसा जीवन शैली के उपोत्पाद हैं। हिंसा की जड़ें ज़रूरतों की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं में तब्दील होने में गड़ी हुई हैं जो अस्थिर जीवन शैली को जन्म देती हैं। शांति के लिए आधार तैयार करने के लिए मुख्य रणनीति जीवन शैली को पुन:स्थापित करने की ज़रूरत होनी चाहिए न कि असीमित लालच को कम करने की। धनलोलुपता वह एकतरफ़ा संबंध है जो देखभाल के तर्क का विरोध करती है। यह प्रकृति से एक निर्जीव वस्तु सा व्यवहार करती है। जिसका जितना दोहन किया जाए उतना कम। इस तरह विकास लूट-खसोट में बदल जाता है। लालसाओं से संचालित विकास हिंसक और अस्थिर होगा। मौजूदा पर्यावरणीय संकट भी इसी के कारण से है। भूमंडलीकरण, लालच या भूख को ईश्वर मानता है। आसक्त और उपभोक्तावादी जीवन शैली की पहचान भावशून्यता और निष्ठुरता है। ये शांति की संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

5. कुछ महत्त्वपूर्ण मसले

आमूल-चूल शैक्षिक सुधारों के लिए यह ज़रूरी है कि इसके लिए दृढ़ निश्चय किया जाए। सुधार एक आंदोलन है न कि कुछ असंबद्ध प्रसाधनों का जोड़-तोड़। पुन:अभिविन्यास के विचार के संपूर्ण दृष्टिकोण से सिखाने रूपी वाहन के कई हिस्सों को फिर से डिजाइन करना होगा। जिससे यह पक्का हो सके कि पुराने मॉडल की खामियों को दूर कर लिया गया है। यह नाव को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चप्पू चलाकर ले जाने जैसा है। जब तक नाव को लंगर से मुक्त नहीं किया जाता आप कितने भी जोरदार और तेजी से चप्पू चला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुराने मार्ग की बाधाओं को दूर किए बिना परिवर्तित दिशा के कवच को खोलकर वांछित परिणाम नहीं पाए जा सकते हैं। शांति के लिए शिक्षा की सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए तुरंत और बेबाकी से कुछ मुख्य क्षेत्रों को संबोधित किए जाने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया है:

5.1 पाठ्यचर्या भार

शिक्षा की गुणवत्ता की उसमें शामिल सूचना की मात्रा से तुलना करना ग़लत है। सिर्फ़ पाठ्यपुस्तकों के भार के जरिए "पाठ्यचर्या बोझ" का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। इसमे कोई संदेह नहीं कि "बोझ" का प्रश्न समझ में

क्या यही है सबसे अच्छा जो तुम कर सकते हो?

प्रत्येक वर्ष जब लाखों बच्चे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, राष्ट्र का भविष्य अवैयक्तिक दु:स्वप्न का प्रदर्शन करता है। तीन साल की उम्र में मोमी रंग, चाक या पेंसिल पकड़ना अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। चौथे जन्मदिन तक छोटे बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह जाने: 30, 25 से अधिक होता है। कक्षा में दूसरे स्थान पर आना 25वें स्थान पर आने से अधिक प्रशंसनीय होता है। पाँचवें जन्मदिन से पहले, उससे सिर्फ़ 500 तक गिनने की ही नहीं, बल्कि लिखने की भी उम्मीद की जाती है। उसके वर्दी पहनने

और उसके जूते के पहले जोड़े पहनने तक यह संख्या 1000 तक पहुँच जाती है। क्या तुम जो सबसे अच्छा कर सकते हो वह यही है? इसी तरह के प्रश्न उसे संपूर्ण विद्यालयी दिनों में सताते हैं। अधिकतर बच्चे जब दस या बारह साल के होते हैं, अपना प्राकृतिक आशावाद और खुशी खो देते हैं। उनमें से कई तो भय और तनाव की स्थिति में होते हैं, वयस्क जिसे बगावत या जिद्दीपन मानते हैं।

न आने वाली विषयवस्तु के भार को शामिल करता है। लेकिन ये इससे भी आगे जाता है। "बोझ" जितना "मात्रात्मक" है, उतना ही "रवैये से संबंधित" भी। कोई छोटी सी ज़िम्मेदारी भी उस समय "बोझ" लगती है, जब कोई उसे पसंद न करता हो। पाठ्यक्रम के मात्रात्मक पहलू से अलग, सीखने को बोझ में बदलने वाले कारक हैं:

- इसके कार्यक्षेत्र को पाठ्यक्रम तक सीमित रखने वाला अध्यापन रुख। अध्यापक पाठ्यक्रम को बोझ की तरह लेते हैं और यही बोझ का भाव विद्यार्थियों में अनजाने में ही चला जाता है।
- संज्ञानात्मक की विशिष्ट तानाशाही विद्यार्थियों के लिए सीखने को श्रमसाध्य अनुभव बना देती है न कि आनंदपूर्ण। आनंद बोझ के भाव को कम करता है। आनंद की अनुपस्थिति बोझ की आत्मनिष्ठ समझ को और तीखा करती है।
- गहन प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में अभिभावकों की अत्यधिक महत्त्वाकांक्षाएँ।
- वर्तमान में शिक्षा प्रचलित उपागम के तहत व्यक्तित्व और भीतरी संसाधनों का विकास तनाव और दबाव से निपटने के अयोग्य बनाता है।
- गाँवों और जनजातीय इलाकों में पाठ्यचर्या का बोझ गरीबी के बोझ द्वारा द्विगुणित हो जाता है।

शांति के लिए शिक्षा को लागू करने के मामले में पाठ्यचर्या का बोझ गंभीर व्यावहारिक निहितार्थ लिए हुए है। पाठ्यचर्या बोझ के भाव के चलते हो सकता है, शांति के लिए शिक्षा को एक अप्रिय घुसपैठिये के तौर पर लिया जाए। चूँकि शांति के लिए शिक्षा को पाठ्यचर्या में समेकित रूप में शामिल करना है, ऐसे में बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि इस नए पहलू को व्यवहार में उतारने के लिए उन्हें पर्याप्त शैक्षणिक समय उपलब्ध है या नहीं।" शांति के लिए शिक्षा, शिक्षण के ऐसे विस्तृत उपागम की मांग करती है जो वर्तमान से अलग हो। शिक्षकों को अपने शैक्षणिक रवैये में रचनात्मक नवाचारी तथा शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से उधमी होना होगा, ये सभी गुण बोझ और वंचित होने के अहसास से दबाए जा सकते हैं।

5.2 पाठ्यपुस्तक लेखन

पाठ्यपुस्तकों को व्यवहार और मूल्यों को साफ-साफ एवं निष्ठा से व्यक्त करना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के सभी पहलू-भाषा, सामग्री और प्रस्तुतीकरण, जिसमें चित्र भी शामिल हैं खुद को शांति समर्थक या हिंसा-समर्थक व्यवहार से जोड़ते हैं। यह ज़रूरी है कि पाठ्यपुस्तकों को शांति के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से लिखा और तैयार किया जाए।

आज़ादी मिले पचास से अधिक साल होने को आए, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर इतिहास को अभी तक स्कूली पाठ्यचर्या में नहीं ला सकी है। अधिकतर बच्चों के लिए इतिहास "प्राचीन भारत" से शुरू होकर एकाएक 1947 पर आकर समाप्त हो जाता है। स्कूल के दिनों के बाद बच्चे पाकिस्तान के बारे में फिल्मों और समाचारों के जरिए ही जानकारी जुटा पाते हैं। भारतीय विद्यार्थी अपने पड़ोसी के बारे में जो नवीनतम जानकारी ग्रहण करते हैं, वह है **विभाजन,** जो प्रत्येक स्तर पर उनके सामने मुँह बाए खड़ा हो जाता है।

पाठ्यपुस्तक लिखते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है, जिसमें शब्द शैली और चित्रों में हिंसा से बचा जा सके। कई बार प्रभाव डालने के उद्देश्य से दिए गए उदाहरण और चित्र हिंसापूर्ण और अति नाटकीयता वाले पक्ष को मज़बूत करते हैं। हिंसा के अस्पष्ट रूप पाठ्यपुस्तक लेखन में आम हैं। वे पूर्वाग्रहों और भेदभावों की रूढ़ता को थोपते प्रतीत होते हैं। प्रोब (पी.आर.ओ.बी.ई.) रिपोर्ट में सामने आए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की कक्षा 4, 5 और 6 की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया। उनमें एक भी चरित्र ऐसा नहीं था जो अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि का हो। हालाँकि इन स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है। इस तरह का निष्कासन भी एक प्रकार की हिंसा है जो हीनता के भाव को जन्म देती है।
- उत्तर प्रदेश की कक्षा तीन की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक (ज्ञान भारती) में 49 चित्र पुरुषों के हैं। इनमें वैज्ञानिक, सिपाही, दो डॉक्टर, एक अध्यापक, एक राजा और कवि शामिल हैं। वहीं इसके विपरीत सिर्फ 14 महिलाओं या लड़कियों को स्थान दिया गया है। लगभग सभी को सहयोगी भूमिकाओं या मानक "औरत" की भूमिका में पेश किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के निर्देशों के खिलाफ है जिसमें, स्कूली पाठ्यचर्या में "लिंग रूढ़ता" से बचने की बात कही गई है।

पाठ्यपुस्तक लेखन में शांति बोध को समाहित कर इन अनियमितताओं को दूर किया जा सकता है। सूचना प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पाठ्यपुस्तक लेखन एकदम नीरस होता है और विद्यार्थियों में रुचि जगाने में भी असफल इस प्रक्रिया में शांति मूल्यों को बढ़ाने और शांति संबंधी अंतर्दृष्टि को गहरा करने के बेशकीमती मौके खो जाते हैं।

आदर्श स्थिति तो यह है कि पाठ्यपुस्तक लेखन में व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों का शैक्षिक निर्माण स्थान लेता है। लेखक को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, नकारात्मक व्यवहारों, भेदभावपूर्ण रूढ़ता, जाति और लिंग आधारित पूर्वाग्रह, उभरती लोकप्रचलित संस्कृति में व्यापक रुझान विशेषत: बढ़ती हिंसा को मापना, जिसमें शिक्षा का व्यापक परिप्रेक्ष्य भी शामिल है, की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक विषय को लेते समय उन्हें रचनात्मक ढंग से "शांति अवसरों" का लाभ उठाना चाहिए।

अन्य चीज़ों के अलावा इस तरह के अवसर वास्तविक यथार्थ के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता को बढ़ाने का मौका भी देते हैं। उदाहरण के लिए, चौथी कक्षा की पर्यावरण बोध की पाठ्यपुस्तक के अध्याय "भोजन की ज़रूरत" को लिया जा सकता है। इस अध्याय में लेखक सफाई, संपूर्ण भोजन को वरीयता और भोजन बर्बाद न हो, इस प्रकार की बातों पर ध्यान देने जैसे मूल्यों की सिफारिश करता है। लेकिन लेखक बच्चों को गरीबी और कुपोषण के बारे में बताने का कोई प्रयास नहीं करता, जिससे हमारे समाज के निचले वर्ग के हज़ारों बच्चे शिकार हैं।

पाठ्यपुस्तक लेखन की एक बड़ी सीमा जिसे पहचाने जाने की ज़रूरत है, वह है छात्रों के तात्कालिक संदर्भों का उनकी सारी विशिष्टताओं के बीच में उनके प्रदर्शन। भारत असंख्य विविधताओं वाला एक विशाल राष्ट्र है। अधिकतर पाठ्यपुस्तक लेखक शहरी एवं उच्च पृष्ठभूमि से होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह पक्षपात पाठ्यपुस्तक लेखन में झलक जाता है। पाठ्यपुस्तकों में बमुश्किल ग्रामीण और जनजातीय वास्तविकता को चित्रित किया जाता है। इस भेदभाव के समाप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अंत में पाठ्यपुस्तक अध्यापक के हाथ में जाकर ही सफल होती है। अध्यापकों के लिए यह संभव होना चाहिए कि उन्हें शांति की शक्ति के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाए, जिसका पाठ्यपुस्तकों में अभाव मिलता है। शांति के लिए शिक्षा में भविष्य के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

प्रत्येक पाठ्यपुस्तक की सामग्री, व्यवहार एवं संपूर्ण दृष्टि के आधार पर पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए। नकारात्मक दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों को शांति विरोधी विचारों और

व्यवहारों से दूर रखने की ज़रूरत है। सकारात्मक दृष्टि से ये देखे जाने की ज़रूरत है कि इसमें “शांति अवसर” पर्याप्त हैं या नहीं। पाठ्यपुस्तकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा पर भी संवेदनशीलता से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उससे सौंदर्यात्मक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों का निर्माण हो।

5.3 मूल्यांकन एवं परीक्षा

शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन हमारे सामने दो मुख्य आयामों के रूप में आता है। पहला, पाठ्यक्रम के बोझ से दबी मौजूदा परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली हिंसा से दूषित है। सीखना जो कि एक मनोरंजक अनुभव होना चाहिए। इसे बोझ और यहाँ तक कि दमन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका कारण है इसका लक्ष्य जो कि परीक्षा आधारित श्रेष्ठता है जिसकी अपेक्षा रोज़गार के दौरान की जाती है। सख़्त प्रतियोगिता– तब और भी कड़ी हो जाती है जब उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसरों की अनदेखी की जाती है– ऊपर से वह कलंक जो असफलता के कारण लगता है जिसके कारण लाखों बच्चे दुख के सागर में डूब जाते हैं और कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस तरह की अति तीव्र प्रतिक्रियाएँ शिक्षा द्वारा बच्चों पर थोपे गए कर से संबंधित चौंकाने वाले कथन हैं। श्रेष्ठता के गलत अनुसरण ने शिक्षा से लाभांवित होने वालों को उसके शिकार में बदल कर रख दिया है। सीखने की प्रक्रिया और इसकी मूल्यांकन व्यवस्था को पुनर्गठित करने और शांति समर्थक एवं छात्र-हितकारी बनाने की ज़रूरत है।

यह पूरी तरह से गलत होगा कि विद्यार्थियों का अन्य विषयों की तरह शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी मूल्यांकन किया जाए। शांति के लिए शिक्षा मर्मस्पर्शी शिक्षा के तहत आती है। इसे मात्रात्मक रूप में नहीं आँका जा सकता। हालाँकि व्यावहारिक रूप में, मूल्यांकन की पूर्ण अनुपस्थिति के चलते शांति के लिए शिक्षा उत्तरदायित्त्व की भावना को समाप्त कर सकती है और इस तरह उसकी उपेक्षा का कारण बन सकती है । यह संभव भी है और ज़रूरी भी कि विद्यार्थियों को शांति के सक्रिय अभिकर्ता के रूप में शिक्षित किया जाए। द इंटरनेशनल स्कूल्स एसोसिएशन, ग्लोबल इश्यूज़ नेटवर्क, ने शांति के लिए शिक्षा की विद्यार्थियों और विद्यालयी समुदाय में प्रभावशीलता को जानने के लिए निम्न बिंदु सुझाए थे:

स्कूल के मिशन वक्तव्य में शांति और संबंधित मूल्यों एवं कौशल के स्वर शामिल होने चाहिए। यह देखना भी ज़रूरी है कि विद्यालय जाति और लिंग आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार और प्रयोगों से मुक्त हो। इस संदर्भ में विद्यालयों की सामाजिक लेखा परीक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। विद्यालय के मिशन वक्तव्य की निम्नलिखित मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत पूरे विद्यालय समुदाय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए:

निजी स्तर पर, निम्न के साक्ष्य हेतु :

- सहनशीलता
- सत्यनिष्ठा
- आदर
- समानता
- प्रभावी संप्रेषण
- खुलापन
- सामंजस्य
- करुणा
- पूर्वाग्रह से मुक्ति

कक्षा स्तर पर, निम्न के साक्ष्य हेतु :

- विविधता और असमानता को पहचानना
- सहकारी समूह कार्य
- भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं प्रयोगों की अनुपस्थिति
- विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच खुले एवं सम्माननीय संबंध
- शांतिपूर्ण हल की अपेक्षा

विद्यालयी स्तर पर, निम्न के साक्ष्य हेतु :

- एक सुरक्षित एवं भयहीन वातावरण
- निष्पक्ष विद्यालयी नियम
- काउंसलिंग के लिए देखभालपूर्ण रुख एवं प्रावधान

- अभिभावक-अध्यापक सहभागिता प्रतिनिधित्व
- शांति से जुड़ी उचित शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश
- शिक्षा के लिए शांति के संदर्भ में सार्थक कर्मचारी विकास कार्यक्रमों के साक्ष्य

सामुदायिक स्तर पर, निम्न के साक्ष्य हेतु :

- सेवा कार्यक्रम
- व्यापक कार्यक्रम
- नेतृत्व का प्रदर्शन
- समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं हल के लिए योगदान
- विनिमय
- अन्य विद्यालयों और संस्थानों के साथ साझेदारी

> एक समय था जब गाँव के अध्यापक को सम्मान के साथ देखा जाता था। जब से राष्ट्रीयकृत बैंक का चपरासी गांव के अध्यापक से अधिक तनख्वाह पाने लगा है, ग्रामीण भारत में प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों की कमी परिलक्षित होने लगी।

5.4 अध्यापक शिक्षा

शिक्षक-शिक्षा स्वरलहरी की तरह काम करती है। शैक्षिक लक्ष्य के साथ किसी अन्य विषय की अपेक्षा शांति के लिए शिक्षा अध्यापक के कर्त्तव्यबोध और वह किस तरह का व्यक्ति है पर निर्भर करती है। इस तरह यह स्वाभाविक है कि शांति के लिए शिक्षा की सफलता अध्यापक के दर्शन, कौशल, ज़ागरूकता और प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। जो अध्यापक शांति के लिए शिक्षा को आगे लेकर जाएगा, उसे इन मूल्यों, तुलनीय व्यवहारों और इसी तरह की व्यवहारात्मक प्रवृत्ति दिखानी होगी।

आज अध्यापक शिक्षा का सबसे बदतर हिस्सा यह है कि भावी अध्यापकों को नवोत्पाद और कल्पना के अवसरों से दूर रखा जाता है। शिक्षक-शिक्षा के द्वारा जिन कौशलों और दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाया जाता है, वह उसके काम के माहौल में अप्रासंगिक और अव्यावहारिक हैं। शांति के लिए शिक्षा की ज़रूरत के मद्देनज़र यह कहा जा सकता है कि विद्यमान शिक्षक-शिक्षा 'प्रशिक्षित अयोग्यता' बढ़ाती है न कि शिक्षाशास्त्रीय तैयारी करती है या प्रेरणा देती है।

वे अध्यापक जो शांति के लिए शिक्षा को लागू करते हैं और वे अध्यापक-प्रशिक्षक जो उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, अगर सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त, असहिष्णु और शांति संदेश को आगे बढ़ाने में शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से असमर्थ हैं, तो इस पाठ्यचर्या को सामने लाना अर्थहीन है। इस संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्योंकि ये ही ऐसे केंद्र हैं जो सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा देश के शिक्षक समुदाय का निर्माण करते हैं।

अध्यापक शिक्षण पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1978, 1988 और 1998 समाजिक सहिष्णुता, सहनशीलता, सहयोग, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ इत्यादि को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में अध्यापक "फाउंडेशन कोर्स" और "स्कूल अनुभव" कार्यक्रमों में प्रासंगिक विषयों को शामिल कर उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है। लेकिन विद्यमान यथार्थ और अध्यापकों में हिंसा के प्रति बढ़ते विश्वास, छात्रों को शारीरिक दंड और जाति, लिंग आधारित भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों आदि के रूप में सामने आ रहे हैं। इससे यह बोध होता है कि अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम अध्यापकों को मनोवांछित गुणों से सुसज्जित करने में असफल रहे हैं, जोकि विद्यालयों में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है।

इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जाए जिससे सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा से अध्यापकों को निम्नलिखित बातों के लिए तैयार किया जा सके:

- अपनी एवं दूसरों की संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकार बनें।
- उन्हें जाति, वर्ग, धर्म, अन्य संस्कृतियों, और राष्ट्रीय

समूहों पर अपना दृष्टिकोण संवैधानिक मूल्यों और अनुभवजन्य तत्त्वों पर आधारित करना चाहिए। किसी भी पूर्वाग्रह और हठधर्मी आस्था से मुक्त रहना चाहिए।

- दमन के सामाजिक ढाँचे और शांति पर इसके प्रभाव के प्रति जागरूक रहना चाहिए और मिल-जुलकर रहने की कला को प्रोत्साहन देना आना चाहिए।
- वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय कौशल में प्रशिक्षित होना होगा, जिससे विद्यार्थियों के विवादों, तनावों, हिंसा और आक्रामकता से निपटने में मदद की जा सके और शांति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- व्यवसाय और इसकी नैतिक आचार संहिता के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा।
- देश की शांति को अस्थिर करने वाले कारकों जैसे लैंगिक असमानता, पूर्वाग्रह, संघर्ष की विचारधारा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, कक्षा में और दो राष्ट्रों के बीच हिंसा और उत्पीड़न, पड़ोसी देशों से राजनीति संबंधों इत्यादि के प्रति जागरूक होना होगा। साथ ही उनके आचरण में असमानता या भेदभाव को बढ़ावा देने वाले व्यवहारों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपनी संयुक्त संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का प्रशंसक बनना होगा।
- यह अनुभव करना कि वे उस व्यावसायिक समुदाय से हैं, जिसे राष्ट्र और विश्व के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी है।
- छात्रों एवं साथियों से सहयोग एवं मानवीय संबंध बनाना है।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, चाहे वह सेवापूर्व हो या सेवाकालीन, इनके जरिए अध्यापकों को शांति निर्माता के रूप में तैयार करने की ज़रूरत है। अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं।

कार्य बिंदु

- सेवापूर्व शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के बुनियादी कोर्स में "शांति के लिए शिक्षा" पर एक अलग अनिवार्य पेपर शामिल किया जाए।
- अगर यह संभव नहीं हो तो बुनियादी पत्रों में शांति सरोकार, अभिवृत्तियों और मूल्यों को शामिल किया जाए।
- विद्यार्थी अध्यापकों को अन्त: शिक्षुता, स्कूल अनुभव, कार्यक्रमों और सामुदायिक कार्य आदि के द्वारा द्वंद्वों को निपटाने की विभिन्न तकनीकों, पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण, विषयवस्तु की व्याख्या इत्यादि के संदर्भों में व्यावहारिक अनुभव दिए जाने चाहिए।
- सहयोगी अधिगम के तरीके सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के तहत अन्त: शिक्षुता कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकते हैं। इन तकनीकों का लाभ उठाने वाले कुछ अध्याय सभी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी होने चाहिए।
- शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए विषय वस्तु और शिक्षाशास्त्र पर अलग से नियमित रूप से सेवारत कार्यक्रम कराए जाने चाहिए।

5.5 विद्यालयी व्यवस्था

शिक्षा आयोग (1964-66) ने अपनी रिपोर्ट में विद्यार्थियों में मूल्यों को रोपित करने के लिए विद्यालयों के वातावरण के महत्त्व पर जोर दिया था। "स्कूल का वातावरण, शिक्षकों का व्यक्तित्व और व्यवहार विद्यालय में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास के संदर्भ में बहुत महत्त्व रखते हैं।" विद्यालय के माहौल को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का सूक्ष्म जगत होना चाहिए और यही शांति के लिए शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है। स्कूल व्यवस्था द्वारा पाठ्यचर्या के संदेशों को पुनर्बलित किया जा सकता है और वैधता प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण मसले हैं: कैसे बच्चों के अधिकारों और ज़रूरतों को विद्यालय में दबाया जाता है, अनुशासन को कैसे समझा

ज्ञान

- मूल संवैधानिक मूल्य
- मानवाधिकार एवं ज़िम्मेदारियाँ
- सांस्कृतिक, नस्ल संबंधी, जेंडर आधारित और धार्मिक पूर्वाग्रहों की पहचान और इनसे बचाव
- वैश्वीकरण और इसके प्रभाव
- पर्यावरण पारिस्थितिकी और संधारणीय विकास
- अंतर्राष्ट्रीय समझ
- द्वंद्व, युद्ध और परमाणु निरस्त्रीकरण
- द्वंद्व विश्लेषण, बचाव एवं हल इत्यादि के सिद्धांत
- बच्चों के व्यवहार में हिंसा के लक्षण
- सीखने के सहभागी तरीके
- हिसां को बढ़ावा देनेवाले मीडिया की छवि

कौशल

- सक्रिय श्रवण, संप्रेषण और चिंतन (मनन/विमर्श)
- सहयोग और सहानुभूति
- आलोचनात्मक सोच और समस्या चिंतन
- द्वंद्वों का निपटारा
- पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु की पहचान और सकारात्मक व्याख्या
- सहभागी अध्ययन-अध्यापन प्रणाली का प्रयोग
- नेतृत्त्व और निर्णय लेना

अभिवृत्तियाँ

- सहनशीलता
- मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर
- लिंग और जाति संवेदनशीलता
- पर्यावरणीय जागरूकता
- देखभाल और सहानुभूति
- निष्पक्ष निर्णय लेना
- सामाजिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही
- आत्मसम्मान
- बदलाव की ओर रुझान (बदलाव के लिए तत्परता)

जाता है और किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है, निर्णय किस तरह लिए जाते हैं और कक्षा में शिक्षण हस्तांतरण कैसे किया जाता है।

विद्यालयी जीवन में शांति मूल्यों को प्रतिबिंबित किए जाने की ज़रूरत है। संबंध विद्यालयी जीवन के मानवीय परिवेश को अपने में समाए रखते हैं। शांति के लिए शिक्षा सभी संबंधों की माँग और उनमें सुधार की अपेक्षा रखती है: यह संबंध अध्यापक-प्रशासन, अध्यापक-छात्र, अध्यापक-अध्यापक, छात्र-छात्र और अध्यापक-अभिभावक के हो सकते हैं। कार्यों में विविधता से परे वे सभी जो मिलकर विद्यालयी समुदाय का निर्माण करते हैं, विशेषत: निम्न वर्ग के कर्मचारी, सभी से विद्यालयी परिवार के सदस्य के रूप में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अंतर-व्यक्तिगत संबंधों को अंत:क्रिया, आपसी सम्मान और देखभाल वाले रवैये से आकार प्रदान करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनैतिक और अन्यायपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए। छात्रों को स्थानीय सामुदायिक समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत कराए जाने की आवश्यकता है ताकि जब भी संभव हो वे उनका हल करने के प्रयास कर सकें। लोकतंत्र की संस्कृति में विद्यार्थियों को पोषित करने के लिए व्यवस्थापरक प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को विद्यालयी अनुशासन व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए।

शांति के लिए शिक्षा हेतु गतिविधियाँ

शांति के लिए शिक्षा को विद्यालय के सह-पाठ्यक्रम के जरिए भी व्यवस्थित किया जा सकता है। शांति विषय को साकार करने वाली कई गतिविधियाँ और परियोजनाएँ विद्यालय में आयोजित की जा सकती हैं।

- वाद-विवाद, संगोष्ठी और दृश्य-श्रव्य आयोजन में शांति को शामिल कर छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- भूमिका निभाने, नाटकों, शांति कविताओं के सृजन, शांति गीत इत्यादि में बच्चों की भागीदारी।
- अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विकलांग दिवस, पर्यावरण दिवस इत्यादि में भागीदारी।
- दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बच्चों को वृद्धाश्रमों, अन्य पीड़ित संगठनों के दौरे के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे उनमे उनके कल्याण की भावना का विकास हो सके।
- स्कूल और पड़ोस में धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना।
- सहनशीलता और समझ को बढ़ाने के लिए कहानियों और चर्चाओं को बढ़ावा देना।

चूँकि शांति विभिन्न संदर्भों में स्थान पाती है। ये सभी शांति के संदेश को फैलाने वाले हैं। विद्यालय के बाद के कार्यक्रमों में कई गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है जो शांति के संदेश से जुड़ी हुई हैं। इसमें कुछ हैं: (अ) "एकता शिविर", रचनात्मक गतिविधियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बच्चों को यह साथ लाएगा (ब) चरित्र का निर्माण, टीमवर्क की भावना, सहयोग और खिलाड़ी की भावना को प्रोत्साहित करने वाली खेल गतिविधियाँ (स) "मीडिया" हिंसा में कमी के लिए जागरूकता और बच्चों के लिए शांति सामग्री को बढ़ावा देने वाले रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रम तैयार करना। इसके अलावा अन्य गतिविधियाँ हो सकती हैं: शांति विषयों पर केंद्रित पत्रिकाएँ, नुक्कड़ नाटक, अपने को व्यक्त करने और समुदाय को शिक्षित करने के लिए नृत्य, नाटक और गीतों का प्रयोग, निष्पक्षता, अहिंसा और सामाजिक सौहार्द्र की भावना को प्रबल करने के लिए कठपुतली और एनिमेशन का प्रयोग। शांति और संघर्ष से जुड़े आयामों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए "टेलीविजन और रेडियो खेलों" और साथ ही साथ "शांति प्रचारों" का प्रयोग भी किया जा सकता है।

5.6 मीडिया और हिंसा

आज मीडिया की व्यापक मौजूदगी है और इसके विस्तार को किसी भी तरह कम विकास की बाधाओं से सीमित नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल की अपेक्षा बच्चों को टेलीविजन आसानी से उपलब्ध है। हजारों गाँवों में शौचालयों की अपेक्षा टेलीविजन

हैं। बच्चे अपना अधिकतर समय टेलीविजन कार्यक्रम देखने में ही देते हैं। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि औसतन बच्चा साल में लगभग 2400 से अधिक घंटे टेलीविजन देखता है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चा हज़ारों बार हिंसा के विभिन्न प्रकरणों जैसे हत्या, दुष्कर्म और दंगों से गुज़रता है। मीडिया अनजाने में ही हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

अध्यापकों को अपने दृष्टिकोण में इस सत्य का समावेश करने की ज़रूरत है। बच्चों पर मीडिया के कुछ घातक परिणाम इस प्रकार हैं:

(अ) आक्रामक अभिवृत्ति एवं व्यवहार को सीखना: आक्रामक अभिवृत्ति एवं व्यवहार सीखने की दिशा में पहला कदम हिंसा को समस्या के हल के उपकरण के तौर पर देखना है। टेलीविजन पर हिंसा को आकर्षक, प्रभावी और अधिकतर संघर्षों के हल के रूप में दिखाया जाता है। मीडिया हिंसा के परिणामों को छिपाकर रखता है। स्क्रीन पर हिंसा मनोरंजक है। जबकि असल जिंदगी में यह एक दुःस्वप्न है। बच्चों से इस सच्चाई को छिपाकर रखा जाता है जिसके चलते वे वास्तविकता के बारे में गलत विचारों को ग्रहण कर लेते हैं। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंसा ठीक है और सुरक्षित भी। अध्यापकों को विद्यार्थियों को हकीकत के इसी पहलू के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है।

(ब) वास्तविक सांसारिक हिंसा के प्रति असंवेदनशील होना: दूरदर्शन पर हिंसा देखने वाले दर्शकों में एक बड़ी संख्या बच्चों की है जो समानुभूति और विरोध करने की योग्यता खो देते हैं और हिंसा के वास्तविक जीवन कृत्यों से तनाव में रहते हैं।

(स) शांति की प्रभावशीलता और व्यवहार्यता के बारे में कटुता फैलाना: अभी तक द्वंद्वों को हल करने के लिए हिंसा को प्रभावी और स्वीकृत तरीके के रूप में मीडिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता रहा है। इसीलिए अहिंसा वाले विकल्प बच्चों को आकर्षित नहीं करते। फीचर फिल्मों में अकसर हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे बच्चे हिंसक, क्रोधी और असामाजिक उपागमों का समस्याओं के समाधान के लिए पक्ष लेते हैं।

बच्चों को मीडिया द्वारा परोसी जाने वाली हिंसा से बचाने में अध्यापक-अभिभावक सहभागिता को अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है। मौजूदा परिस्थितियों में पहल अध्यापकों की ओर से किए जाने की ज़रूरत है। इस संबंध में, बच्चों की शिक्षा में मीडिया साक्षरता को शामिल किया जाना चाहिए जिससे वह अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा सके। अगर टेलीविजन और सिनेमा द्वारा बच्चों पर डाले जा रहे घातक परिणामों से अभिभावक रूबरू हो जाएँ तो आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीती जा सकती है। बच्चों को मीडिया हिंसा के दुष्प्रभावों से बचने के लिए माता-पिता द्वारा अच्छा पालन-पोषण कवच का काम कर सकता है।

दूसरी तरफ अध्यापक बच्चों को मीडिया की वास्तविकता और संपूर्ण रूप से बच्चों को रू-बरू करा सकते हैं। जिससे उनका हित होगा और मीडिया के घातक प्रभाव कुछ कम होंगे। इसका एक उदाहरण हो सकता है टेलिविजन द्वारा मिल रहे संदेशों की पुनर्रचना करना। अध्यापक कुछ प्रसिद्ध टेलिविजन कार्यक्रमों की चर्चा निम्नलिखित प्रश्नों का प्रयोग कर कक्षा में कर सकते हैं:

- असल जिंदगी से किसी ऐसे पात्र की भूमिका निभाने के लिए कहें जो उन्हें याद हो।
- कहानी में समस्या या द्वंद्व क्या था?
- द्वंद्व का हल कैसे हुआ?
- क्या यह हल असल जिंदगी में भी काम करेगा?
- पीड़ित जो महसूस करते हैं विद्यार्थी उसके बारे में कैसे सोचते हैं?
- क्या हिंसा के टेलीविजन संस्करण से कुछ निकलकर आता है?
- अगर लोग असल ज़िंदगी में ऐसा करें तो क्या होगा?
- किसी को नुकसान पहुँचाए बिना समस्या को हल करने का क्या मार्ग होगा?
- क्या चरित्रों ने हिंसक होने से पहले अन्य विकल्पों पर विचार किया?

5.7 अभिभावक-अध्यापक सहभागिता

पाठ्यचर्या के ज़्यादा परिष्कृत होने का दुखद परिणाम यह है कि अभिभावक अपने बच्चों के अकादमिक निर्माण

से अलग होते जा रहे हैं – इससे बच्चों और अभिभावकों में संस्कृति चलित अलगाव बढ़ता जा रहा है। फिर भी शिक्षा में अभिभावक-अध्यापक सहभागिता के महत्त्व पर भाषण दिए जाने का चलन जारी है। असल में, बच्चे के शुरुआती विद्यालय जीवन के बाद अभिभावकों की सहभागिता एकदम कम हो जाती है। विद्यालय के बाद के समय में 'ट्यूशन और होमवर्क' के बढ़ते बोझ के कारण बच्चे घर में मेहमानों जैसे रहते हैं। अकादमिक उपलब्धियों के अत्यधिक बोझ के चलते अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने अभिभावक-बच्चे के संवाद को सिर्फ़ औपचारिकता बनाकर रख दिया है। बच्चों को 'अकादमिक इन्क्यूबेटर्स' में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वह वास्तविकता से अछूते और जीवन के प्रवाह से बहुत दूर रहते हैं। इसमें शांति के लिए शिक्षा कुछ अलग कर परिवर्तन ला सकती है। सीखने की प्रक्रिया में शांति सरोकारों का समावेश करना और फिर इसे कक्षाओं तक ही सीमित रखना संभव नहीं है। शिक्षकों को यह जानना होगा कि उन्हें उस नींव पर निर्माण करना है जिसे अभिभावकों ने रखा है। उन्हें जानना होगा कि अभिभावक मददगार और ज़रूरी सहयोगी हो सकते हैं। शांति के मूल्यों और समस्या हल करने की विधियों को कक्षा में सिखाया जाना चाहिए जिनको पुनः घर में न केवल दोहराया जाए बल्कि इनकी पुष्टि घर पर ही की जानी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में रिश्तों संबंधी अभिभावकों की भागीदारी बढ़ने से घर के जीवन की भावनात्मक गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। आज उच्च एवं मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों से बढ़ते अलगाव को लेकर अत्यधिक चिंता व्याप्त है। इसलिए शांति के लिए शिक्षा द्वारा प्रदान कराए जाने वाले अवसरों का उन्हें स्वागत करना चाहिए, अगर केवल शिक्षक ही जानते हैं कि इस तरह अस्थायी रूप से विस्थापित परंतु आवश्यक शिक्षाशास्त्रीय भागीदारी के लिए द्वार कैसे खोले जाएँ।

5.8 एकीकरण की चुनौती

इस आधार पत्र में शांति के लिए शिक्षा के लिए जो शिक्षाशास्त्रीय तरीका अपनाए जाने का प्रस्ताव है वह एकीकरण का है। एकीकरण एक आदर्श है क्योंकि विशेषकर शांति एक एकीकृत और सबको गले लगाने वाली संकल्पना है। लेकिन इस आदर्श प्रस्ताव को एक ऐसी व्यवस्था में स्थापित करना है जो आदर्श से कोसों दूर है। शिक्षा के प्रत्येक संघटक के संबंध में जमीनी वास्तविकता काफ़ी संसाधनों की माँग करती है। इनमें पाठ्यपुस्तक लेखन से लेकर कक्षा में आदान-प्रदान, अध्यापकों की प्रेरणा से लेकर स्कूल व्यवस्था तक शामिल है। विश्व में भारतीय स्कूल व्यवस्था सबसे अधिक जटिल और कई स्तरों वाली है। इसमें कई प्रकार की विविधताएँ, असमानताएँ और अपर्याप्तताएँ हैं। इस तरह की व्यवस्था में यदि शांति के लिए शिक्षा को वास्तविक तौर पर मौका देना है तो यह महत्त्वपूर्ण है कि इसे लागू करने के मार्ग में आने वाली संभावित बाधाओं को उपचारी ढंग से दूर करना होगा। प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से तो एकीकरण उपागम को प्राथमिकता देना पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की चिंताओं के कारण था। परन्तु निश्चित रूप से यह प्राथमिकता उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि यह कि शिक्षा को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समर्थ बनाया जाए। शांति न तो बोझ समझी जानी चाहिए और न ही मात्र ऐसी बोझ जिससे विद्यार्थियों को बचना है। वास्तव में शांति एक वरदान है बोझ नहीं। फोकस समूह एक भावहीन दलीत देता है कि शांति के लिए शिक्षा को 'पाठ्यचर्या बोझ' की चिंता के दृष्टिकोण से योजित और लागू नहीं करना चाहिए नहीं तो इसके लिए की जा रही पहलें बेकार हो जाएँगी। शांति को यदि कारगर बनाना है तो इसे प्राथमिकता देनी होगी अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा।

6. शांति के लिए शिक्षा : मूल्य और कौशल

शिक्षा के द्वारा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पाठ्यचर्या में शामिल किए जा सकने वाले कुछ बिंदु नीचे दिए गए हैं:

6.1 शांति के मूल्य

6.1.1 व्यक्तित्व निर्माण के लिए शांति मूल्य

- प्यार
- सच्चाई

- शुद्धता–शारीरिक एवं मानसिक (जो सही है वही सोचो, बोलो और करो)
- सुंदरता और शांति–प्रकृति एवं मानव की विविधता में एकता की सराहना।
- देखभाल करने का भाव (आभार)
- उत्तरदायित्त्व का भार
- अहिंसा
- विनम्रता (सही होने की तत्परता एवं अपनी गलती स्वीकारने का साहस)
- सेवा का भाव
- नेतृत्व, शांति स्थापित करने के लिए या स्थिति में सुधार करने के लिए पहल करना
- सकारात्मक सोच और आशावाद
- अनुशासन, आत्म–नियंत्रण, एकाग्रता, परिश्रम और वृद्धि
- दूसरों के प्रति संवेदनशीलता– 'भिन्नता' के साथ सामना करने के कौशल और दूसरों के लिए सोचने तथा उनकी मदद करने की योग्यता।
- वृद्धि–अपने तथा अपने पड़ोसी दोनों के लिए

6.1.2 शांति मूल्य और साझी आध्यात्मिकता

- आंतरिक संसाधनों के विकास द्वारा आंतरिक शांति की अभिलाषा करना
- सोच, आस्था और अंतर्विवेक की स्वतंत्रता
- धार्मिक व्यवहार की आज़ादी
- दूसरों की धार्मिक भावनाओं एवं रीतियों का आपसी आदर–सम्मान।
- राज्य द्वारा सभी धर्मो के साथ व्यवहार में समानता

विद्यार्थियों में धर्म के बारे में तार्किक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की ज़रूरत है: ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक धार्मिकता को साझी आध्यात्मिकता में और अंधविश्वास को ज़िम्मेदारीपूर्ण तर्क–वितर्क की योग्यता में परिवर्तित करके ही किया जा सकता है।

6.1.3 शांति मूल्य बनाम भारतीय इतिहास और संस्कृति

- शांति की सकारात्मक एवं नकारात्मक समझ
- एकीकृत दृष्टिकोण (वसुधैव कुटुंबकम्)
- मध्यवर्ती रिवाज़ों और संस्कृतियों पर विशेष जोर के साथ विविधता, बहुलता और सह–अस्तित्व
- शांति पर उपदेश (अहिंसा, सच्चाई और आतिथ्य)
- शांति संबंधी गांधीजी के विचार और व्यवहार
- शांति आंदोलन (विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन)

6.1.4 शांति मूल्य, मानवाधिकार और लोकतंत्र

- गरिमा
- समानता
- न्याय
- सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा
- सहभागिता
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- आस्था की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान से परिचय :

- प्राक्कथन
- अधिकार और कर्त्तव्य
- विशेष प्रावधान
- अपूर्ण कार्य सूची: राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

6.1.5 शांति मूल्य और जीवनशैली

- प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता एवं उसकी सराहना
- जीवन के सभी रूपों का सम्मान
- सादगी–सादगी से जियो जिससे अन्य भी सादगी से जी सकें
- उत्तरदायित्त्व–समुदाय में रहने का भाव
- सृजन का एकीकरण एवं उपभोग
- गांधीजी का विचार है कि पृथ्वी के संसाधन सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं, न कि कुछेक के लालच को पूरा करने के लिए।

6.1.6 शांति मूल्य और राष्ट्रीय एकता

- भारत–धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषयी विविधता में एकता
- मनुष्य की गरिमा
- समानता
- सामाजिक न्याय
- सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा
- सहभागिता
- भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी

6.1.7 हिंसा : क्या है और यह क्या करती है

- हिंसा के प्रकार
  (i) मौखिक
  (ii) मनोवैज्ञानिक
  (iii) शारीरिक
  (iv) ढाँचागत
  (v) लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता
- हिंसा के मोर्चे
  (i) जाति
  (ii) जेंडर
  (iii) भेदभाव
  (iv) भ्रष्टाचार
  (v) सांप्रदायिकता
  (vi) विज्ञापन
  (vii) गरीबी
- हिंसा का खतरा
- मीडिया और हिंसा
- विवादों के शांतिपूर्ण हल
- विवादों के बाद समझौता

6.1.8 शांति मूल्य और वैश्वीकरण

- वैश्विक संदर्भ में शांति
- शांति आंदोलन और पहलें
- पारिस्थितिकी चिन्ताएँ–प्रकृति की देखभाल और सतत विकास
- उदारीकरण, भूमंडलीकरण तथा निजीकरण–इनमें शांति के लिए निहितार्थ
- भूमंडलीकरण और लोकतंत्र
- शांति, विकास और सामाजिक न्याय
- शांति और लैंगिकता
- पीढ़ियों का अंतराल
- 'ड्रग और अल्कोहल' की कुप्रथा
- एचआईवी/एड्स
- आतंकवाद

6.2 शांति कौशल

यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित किया जाए जो उन्हें प्रभावी शांति निर्माता बना सके। इनका परिचय हम चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल के तहत संक्षिप्त जानकारी के रूप में दे सकते हैं।

6.2.1 चिंतन कौशल

आलोचनात्मक चिंतन : तथ्य, विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता। भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना। तर्क या बहस में निहित पूर्वसूचना एवं विषयों और समस्याओं को पहचानना। सही ढंग से तर्क करना।

सूचना प्रबन्ध : परिकल्पना को आकार देने एवं जाँच की क्षमता होना। हल कहाँ से मिल सकते हैं और सूचना को कैसे स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है यह जानकारी भी रखना; प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को आँकना; सर्वाधिक उचित कार्रवाई के लिए सक्षम होने हेतु संभावित परिणामों को आँकने की समझ होना।

रचनात्मक चिंतन : नूतन समाधान और हल तलाशना; पार्श्विकता से सोचना और समस्याओं को कई परिपेक्ष्यों में देखना।

प्रतिबिंबन : समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना; चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखना और किसी भी समस्या विशेष से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना।

द्वंद्वात्मक चिंतन : एक से अधिक दृष्टिकोण से सोचना; दोनों दृष्टिकोणों को समझना; दूसरे के ज्ञान के आधार पर किसी भी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होना।

6.2.2 संप्रेषण कौशल

प्रस्तुतीकरण : विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित करने में सक्षम होना।

सक्रिय श्रवणता : अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और पहचानना।

समझौता वार्ता : संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते की एक उपकरण के रूप में भूमिका और सीमाओं को पहचानना; विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद की ओर कदम बढ़ाना।

मूक संप्रेषण : बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्त्व को पहचानना।

6.2.3 वैयक्तिक कौशल

सहयोग : साझे उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना।

अनुकूलनशीलता : तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना।

आत्म अनुशासन : अपने आचरण को उचित बनाए रखने और प्रभावकारी ढंग से समय का प्रबंधन करने की योग्यता।

उत्तरदायित्व : काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता; अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार रहना।

सम्मान : दूसरों को ध्यान से सुनना; निष्पक्षता और समानता के आधार पर निर्णय लेना; इस बात को पहचानना कि दूसरों की आस्था, विचार और दृष्टिकोण आप से अलग हो सकते हैं।

7. शांति के लिए शिक्षा : कुछ सिफारिशें

शांति के लिए शिक्षा हेतु एकीकृत उपागम के लिए आवश्यकता, उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं:

1. स्कूलों में शांति क्लब और शांति पुस्तकालयों की स्थापना करना। शांति मूल्यों और कौशल को प्रोत्साहित करने वाली अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार करना।
2. न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों, वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों का संग्रह तैयार करना और इन्हें विद्यालय में प्रदर्शित करना।
3. शांति के लिए शिक्षा हेतु मीडिया को हिस्सेदार के रूप में सहयोजित करना। अखबार जिस तरह आजकल धर्म के ऊपर लेख दे रहे हैं उसी तरह शांति कॉलम भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विद्यालयों में शांति के लिए शिक्षा की ज़रूरत के अनुसार शांति के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत अध्यापकों को शांति शिक्षकों के रूप में प्रोत्साहन देने तथा समर्थ करने की आवश्यकता है।
4. विद्यालयों में ऐसे प्रावधान करना जिससे बच्चे इस योग्य हों कि वे समझ सकें तथा आयोजित कर सकें: (अ) भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता (ब) मानवाधिकार दिवस (स) बालिका दिवस (द) महिला दिवस (य) पर्यावरण दिवस और (र) भिन्न क्षमतावान व्यक्ति दिवस।
5. महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिलाओं के प्रति सम्मान और ज़िम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। यह अपराध सामाजिक बीमारुपन के संकेत हैं।
6. जिला स्तर पर विद्यालय विद्यार्थियों के लिए शांति उत्सवों का आयोजन करें। इससे हम शांति को मनाने और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने जैसे दोहरे उद्देश्य पा सकेंगे।
7. विभिन्न धाराओं के विद्यार्थियों के बीच परस्पर विचार विनिमय के कार्यक्रम आयोजित कराना जो उनको पूर्वाग्रहों, क्षेत्रीय, जाति और वर्गीय बाधाओं से उबरने में मदद करें।
8. स्थानीय गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली शांति परियोजनाओं में स्वयंसेवक की भूमिका निभाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराना। शांति के लिए शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह ज़रूरी है कि विद्यालय गैरसरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करें। ऐसे में शांति संबंधी स्वयंसेवी संगठनों की डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
9. शांति के लिए शिक्षा देने के लिए अध्यापकों और अभिभावकों की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।
10. राज्य स्तर की एजेंसियों की स्थापना: (क) शांति के लिए शिक्षा क्रियान्वयन की निगरानी के लिए

विशेषकर पाठ्यपुस्तक लेखन, अध्यापक शिक्षा, कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था के संबंध में (ख) शांति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त शोध को बढ़ावा देने के लिए ताकि आँकड़ों और अनुभवों के प्रकाश में पाठ्यचर्या की समीक्षा और सुधार हो सके।

11. विद्यालय से जुड़ी विभिन्न प्रणालियों में व्याप्त असमानताओं को कम करना जिससे शिक्षा में असमानता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा न मिल सके।
12. ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक अनदेखी में संशोधन के लिए सकारात्मक कदम उठाना। इसमें पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना और मौजूदा विद्यालयों की स्थिति में सुधार की बात शामिल है।
13. अध्यापकों की भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तत्काल राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार भी हिंसा का ही एक रूप है। अध्यापकों के भ्रष्टाचार का शिकार होने से उनके शांति शिक्षक होने के उद्देश्य को धक्का पहुँचेगा।
14. विद्यालयों की संस्थानात्मक संस्कृति में सुधार की ज़रूरत के प्रति जागरूकता फैलाना। व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के कार्यक्रमों के लिए पहल करना; जिसमें विद्यालय के परिवार के सभी सदस्यों खासकर वंचितों के लिए सम्मान और चिंता पर जोर दिया जाए।
15. शांति के लिए शिक्षा भविष्य में दी जाने वाली शिक्षा की समीक्षा या नीति में सुधार के लिए मज़बूत उपकरण होनी चाहिए। इसे शैक्षिक प्रशासकों के लिए आयोजित किए जाने वाली प्रत्येक बहस और अभिमुखीकरण/ प्रशिक्षण कार्य में गंभीरता से शामिल किया जाए।
16. अभिभावक-अध्यापक संबंधों को स्थापित एवं मज़बूत करना। विद्यालय में पैदा होने वाली समस्याओं और विवादों के प्रति अभिभावक और अध्यापकों को शांति का रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
17. शांति के लिए शिक्षा के सभी ससांधन (इतिहास, लक्ष्य, उद्देश्य, लाभ) सेवापूर्व और सेवा के दौरान होने वाले अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हों।
18. पाठ्यचर्या निर्माण में शांति के लिए शिक्षा को समग्र रूप में रखे जाने की आवश्यकता है।
19. शांति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के पुनर्गठित किए जाने की ज़रूरत है।
20. पाठ्यपुस्तक लेखकों को यह समझ दिए जाने की ज़रूरत है कि पाठ्यपुस्तकों में दी गई भाषा और चित्रों को गहराई से जाँचकर उनका पुन: प्रस्तुतीकरण जरूरी है।
21. प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा के स्वीकृत लक्ष्य के अंतर्गत तथा शांति के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता के प्रकाश में संशोधित एवं पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
22. विद्यालयी वातावरण को प्रत्येक प्रकार की हिंसा से अलग रखना चाहिए। यह अन्य चीजों के अलावा अनुशासन के रूप में हिंसा को भी शामिल करता है। शारीरिक सजा को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकताहै और इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना ज़रूरी है। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाए कि वे अनुशासन बनाए रखने और सुधारने की प्रक्रिया में भागीदार हों।
23. अध्यापकों की समस्या पर ध्यान देने के लिए एक सक्षम और प्रभावी तंत्र की ज़रूरत है। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में अध्यापकों के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने चाहिए। आसानी से सबकी पहुँच के लिए बड़े राज्यों में ट्रिब्यूनल की कई शाखाएँ खोलने की आवश्यकता है।
24. एक ऐसी पुस्तिका तैयार की जाए जिसमें शांति के लिए शिक्षा के एकीकृत रूख हेतु दिशा-निर्देश हों। जिन्हें स्कूल में पढ़ाए जाने जाने वाले प्रत्येक विषय

और अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रत्येक अध्यापक, अध्यापक-प्रशिक्षक और पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

25. विद्यालयों में हिंसा के कारण और उपायों पर एक मैनुअल तैयार करना और उपलब्ध कराना। मैनुअल यह दिशा निर्देश दे कि हिंसा के बहुत से प्रकार हैं (मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आपराधिक और ढाँचागत) और विद्यालयी जीवन को शांति की संस्कृति की दिशा में बढ़ाने में व्यावहारिक कदम लिए जा सकते हैं।

8. निष्कर्ष

इस आधार पत्र में शांति के लिए शिक्षा की जो रूपरेखा और अंतर्वस्तु प्रस्तुत की गई है, उसमें कुछ आधारभूत धारणाएँ निहित हैं।

विद्यालय शांति की पौधशालाएँ हैं: विद्यालयी शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन के उन वर्षों से संबंध रखती है, जब उसका व्यक्तित्व-निर्माण हो रहा होता है। इस अवस्था में रखी गई नींव पर ही जीवन का पूरा भवन निर्मित होता है। शिक्षित करने का मतलब है, दिशा देना। हम बच्चों को या तो शांति की दिशा में ले जा सकते हैं या उससे उलट दिशा में। बच्चों को शांति की दिशा में नहीं मोड़ने का मतलब है, उन्हें सूक्ष्म या स्थूल हिंसा की दिशा में जाने देना। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आज ये जागरूकता लगातार बढ़ रही है कि शिक्षा के माध्यम से शांति की संस्कृति के प्रचार-प्रसार को शिक्षा का ऐसा लक्ष्य मानना होगा जिसके लिए कोई मोल-तोल न हो।

शिक्षक सामाजिक चिकित्सक हो सकते हैं: जब हम शिक्षक के कार्यक्षेत्र को सूचनाओं के मालगोदाम तक सीमित कर देते हैं तब हम इस पेशे के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। डॉक्टर जैव-चिकित्सकीय रोगों का उपचार करते हैं। वे सामाजिक रोगों का इलाज़ नहीं कर सकते। परंतु शिक्षक कर सकते हैं, अगर वे शांति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अपने उत्तरदायित्व को पालना शुरू करें। सामंजस्य से ही समाज स्वस्थ बनता है। सामंजस्य, विविधता और अन्यत्व के प्रति सकारात्मक और सत्कारशील रवैये का परिणाम होता है और शिक्षा बच्चों में इस समझ को प्रोत्साहित करने का साधन है। ऐसी शिक्षा समाज के घावों को भरने के साथ-साथ शिक्षकों को लगातार हाशिए पर धकेले जाने से भी रोक पाएगी। आज का शिक्षक केवल सिखाने का काम करता है, जिसमें शिक्षण का अभाव होता है और इस तरह वह अपनी सामाजिक पूँजी का अपव्यय करता है। 'पाठ्यक्रम पूरा करने' की हड़बड़ी में यांत्रिक तरीके से पढ़ाने का मतलब है, शिक्षण के बृहत्तर क्षितिज की ओर से अपनी निगाहें फेर लेना। सिद्धांतत: हम मानते हैं कि अधिगम विद्यार्थी-केंद्रित होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में पूरी पढ़ाई पाठ्यक्रम-चालित बनी रहती है। पूरी तरह से पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित होने के कारण विद्यार्थियों को इनसान मानकर ध्यान देना शिक्षकों को याद ही नहीं रहता। विद्यार्थियों की मानवोचित रचना जो कि शिक्षण की आत्मा है, की वे प्राय: उपेक्षा करते हैं। ऐसी हालत में शिक्षक 'शिक्षक' नहीं रहता, वह स्कूल का महज 'वेतनभोगी कर्मचारी' रह जाता है। शांति के लिए शिक्षा शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे अपने व्यवसाय से खोती हुई चेतना को जाग्रत करें और इसके महान उद्देश्यों की पुन: स्थापना करें।

शांति के कौशल अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं: सुनने की क्षमता, ऊँचे उद्देश्यों का बोध, धैर्य और सहिष्णुता, एकाग्रता बढ़ानेवाली मानसिक शुद्धता, सहकारिता और टीमवर्क की प्रवृत्ति, जानने की तत्परता (जिज्ञासा और विवेकपूर्ण पड़ताल), अनुशासन के प्रति स्वीकार्यता और अध्ययन/कार्य के प्रति एक सकारात्मक रुख़-ये सभी एक अच्छे विद्यार्थी की निशानियाँ हैं। अहम बात है कि ये सभी कौशल शांति-अभिमुख व्यक्ति की निशानी भी हैं। इस सच्चाई के प्रति व्यापक रूप से जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों में - और कुछ हद तक शिक्षकों में भी - यह धारणा बढ़ती जा रही है कि पढ़ाई का समय पूरी तरह से पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों को ही समर्पित हो। दूसरे शब्दों में, अधिगम के मक़सद को शिक्षा के इस लक्ष्य से उलट रूप में देखा जाने लगा है कि वह व्यक्ति को प्रदत्त सामाजिक संदर्भ में सौहार्द्रपूर्वक और आनंदपूर्वक जीने

का सामर्थ्य प्रदान करती है। इस गड़बड़ी को समझना हो, तो इस तरह से विचार कीजिए। शिक्षा का एक स्वीकृत लक्ष्य है– विद्यार्थी को जीवनपर्यन्त सीखते रहने वाला बनाना। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज़ कर जाते हैं कि विद्यार्थियों में ऊँचे उद्देश्यों का बोध, तार्किक और कल्पनाशील पड़ताल के मिज़ाज़ से सबल होता ज्ञान का जुनून, और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित किए बगैर हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे जीवनपर्यन्त सीखने का उत्साह बनाए रखें। बच्चों में शांति के कौशलों के विकास को, जीवनपर्यन्त सीखने की क्षमता और टिकाऊ उपलब्धियों की नींव रखनेवाले निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

शिक्षा को शांति के लिए शिक्षा मानवीय बना सकती है: शिक्षित होने का मतलब है पूर्णत: मानव होना। समुदाय में रहने की ज़रूरत हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। इसलिए दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्वक जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा के सार में निहित है। आधुनिक शिक्षा और संस्कृति को आकार देनेवाला आयाम है व्यक्तिवाद, जिसमें कि सामुदायिकता के बोध को कुंठित कर देने की क्षमता है। इसलिए इस बात का खतरा है कि कोई व्यक्ति अधिगम के पायदानों पर जितना ही ऊपर चढ़ता जाएगा उतना ही वह सामाजिक दृष्टि से कम 'शिक्षित' और कम उत्तरदायी बनता जाएगा। यह शिक्षा के उद्देश्य और उसकी प्रक्रियाओं के बीच गहराते अंतराल को दर्शाता है। शांति के परिप्रेक्ष्य के ज़रिए पूरी अधिगम प्रक्रिया को एकसूत्र में गूँथना शिक्षा को मानवीय बना सकता है और उसके सारभूत लक्ष्यों के साथ उसका सामंजस्य बिठा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के लिए शांति कितनी आधारभूत आवश्यकता है, इसकी पहचान करते हुए 'द हेग एजेंडा फ़ॉर पीस एण्ड जस्टिस फॉर ट्वेन्टीथ सेन्चुरी' शांति के लिए शिक्षा को 'चौथा आर' मानता है अर्थात् अत्यंत आवश्यक मानता है।

प्लेटो ने द *रिपब्लिक* में लिखा है कि एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान है, समाज की समस्याओं का हल करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करने की समुत्सुकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह बच्चों को आगे बढ़कर कुछ करने योग्य सामाजिक सद्विवेक से संस्कारित करे। समाज व्यक्तियों के लिए ऐसा संदर्भ है जो उन्हें सशक्त बनाता है। समाज के होने के लिए जिस तरह के संबंधों और उत्तरदायित्वों की पूर्वापेक्षा होती है, उनके संजाल से बाहर किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्ण मनुष्य होना या फिर गरिमा और परितोष हासिल कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए समाज में रचनात्मक, ज़िम्मेदार और शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए व्यक्ति को तैयार करने का काम शिक्षा को करना चाहिए। अगर हमें इस बुनियादी लक्ष्य को हासिल करना हो तो शिक्षा में 'श्रेष्ठता' की समझ को मानवीय तरीके से नया मोड़ देना होगा। हमें मानना होगा कि अच्छा मनुष्य होना किसी शिक्षित व्यक्ति का अनिवार्य गुण है, न कि वैकल्पिक। जब हम विद्यार्थियों की भावनाओं, बोध और संवेदनाओं को भुखमरी का शिकार बनाकर उनके मस्तिष्क को अजीर्ण करानेवाली खुराक दे रहे होते हैं तब हम पूर्ण व्यक्ति गढ़ने के शैक्षणिक लक्ष्यों के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों और उपकरणों के बीच बढ़ती इस खाई को यथाशीघ्र पाटने की ज़रूरत है।

6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है। इसके निहितार्थों को अगर संजीदगी से समझा और लागू किया जाए, तो यह मान्यता अपने-आप में एक संभावनागर्भित क्रांति है। यह तभी हो सकता है, जब शिक्षा एक तरह के जनांदोलन का रूप ले ले और समुदायों का इस तरह से सशक्तीकरण हो कि वे इस प्रक्रिया में भागीदारी कर पाएँ। योजनाओं में सक्रिय जन-भागीदारी की संभावना बहुत कम होती है, जबकि आंदोलन के लिए वही सबसे बुनियादी और आवश्यक आयाम है। और दूसरी बातों के अलावा, यह शिक्षा के आशय और क्षेत्र के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता को भी बढ़ाएगी। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने शिक्षा के उद्देश्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, "विद्यार्थी के चरित्र और व्यक्तित्व का ऐसे प्रशिक्षण हो जिससे वे अपनी समस्त क्षमताओं की पहचान कर पाएँ और समुदाय की भलाई के लिए योगदान कर पाएँ।" उसने

यह भी स्वीकार किया है कि एक मौलिक उपागम के साथ ही ऐसे व्यापक लक्ष्य के लिए काम करना संभव है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि इस तरह का उपागम सिर्फ़ विद्यालय तक ही सीमित न रहे बल्कि 'उसे पूरी परिस्थिति का ध्यान रखना होगा।' सिर्फ़ एक आंदोलन ही विविध प्रकार की एजेंसियों को भागीदार बना सकता है, सुषुप्त ऊर्जाओं को विमुक्त कर सकता है और आमूल परिवर्तन ला सकता है।

शांति के लिए शिक्षा को राष्ट्र के उपचार और नया जीवन प्रदान करने के उद्यम के रूप में देखे जाने की ज़रूरत है। इस रूप में लें, तो शांति के लिए शिक्षा शिक्षा के संबंध में एक समग्र दृष्टि को सक्रिय बनानेवाले प्रभावी उत्प्रेरक की भूमिका ग्रहण कर सकती है। यह शिक्षा को राष्ट्रीय एकजुटता और पुनरुज्जीवन के आंदोलन में बदल सकती है, जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। भारतीय संदर्भ में शांति के लिए शिक्षा के मुख्य सरोकार हैं शिक्षा में सामाजिक न्याय और ग्रामीण-शहरी विभाजन की बढ़ती खाई को पाटने की ज़रूरत। शिक्षा का ऐसा उपागम जो सामाजिक जुड़ाव का क्षय करता हो, आर्थिक असमानताएँ बढ़ाता हो, नैतिक बुनियादों की अनदेखी करता हो, समाज के लिए उपकार है और शांति के लिए खतरा है।

पूरबवासियों की कल्पना में नीतिकथाएँ स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। हम छवियों से ही सोचते हैं और कथाओं को हमारी ओर से बोलने की इजाज़त देते हैं। इसलिए, अपनी परंपरा को निभाते हुए आइए, एक नीतिकथा से समाप्त करें।

शिक्षक, आपने मुझे अधकचरा ज्ञान दिया

एक शिक्षक ने सपने में अपने एक विद्यार्थी को आज से पचास साल आगे के समय में देखा। विद्यार्थी गुस्से में था और बोला, 'मुझे देश के अतीत और प्रशासन के बारे में अत्यधिक विस्तार से और विश्व के बारे में बहुत कम क्यों सिखाया गया?' वह इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसे किसी ने नहीं बताया था कि एक वयस्क होने के नाते उसे रोज़ाना वैश्विक परस्पर निर्भरता संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। ये समस्याएँ शांति, सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता, मुद्रा स्फीति या प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जुड़ी हो सकती हैं। "मुझे चेताया क्यों नहीं गया? आखिर क्यों मुझे उन्नत ढंग से शिक्षित नहीं किया गया? आखिर क्यों मेरे शिक्षकों ने मुझे भविष्य में आने वाली समस्याओं से अवगत नहीं कराया और यह समझने में मेरी मदद नहीं की कि मैं परस्पर निर्भर मानव जाति का एक सदस्य हूँ?"

विद्यार्थी अत्यधिक गुस्से के साथ चिल्लाया, "आपने इन विशाल मशीनों तक मेरे हाथों को पहुँचाने में मेरी सहायता की, आपने मेरी आँखों को दूरबीन एवं सूक्ष्मदर्शी, मेरे कानों को टेलीफोन, रेडियो के साथ और मेरे दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ा लेकिन आपने मेरे दिल को प्यार और मानव जाति के लिए चिंता से जोड़ने में मदद नहीं की। शिक्षक, आपने मुझे अधकचरा ज्ञान दिया।"

संदर्भ

ए.एस.पी.एन.ई.टी.(2003), *ए.एस.पी.एन.ई.टी. ड्राफ्ट रिपोर्ट: 50th एनिवर्सरी इंटरनेशनल काँग्रेस 'नेविगेटर्स फॉर पीस,* ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, 3-8 अगस्त, 2003

ए.वी.पी. एजुकेशन कमेटी, *अल्टरनेटिव्स टू वॉयलेंस प्रोजेक्ट मैन्युअल (सेकंड लेवल कोर्स),* न्यूयार्क: आल्टरनेटिव्स टू वॉयलेंस प्रोजेक्ट।

बालासूर्या, ए.एस. (1994ए), *टीचिंग पीस टू चिल्ड्रन*, महारागामा, श्रीलंका : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन।

बालासूर्या, ए.एस. (1994बी), *मैनेजमेंट ऑफ़ कॉनफिलिक्ट्स इन स्कूल्स*: महारागामा, श्रीलंका: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन।

बालासूर्या, ए.एस. (1995), *एजुकेशन फॉर पीस: लर्निंग एक्टीविटीज,* महारागामा, श्रीलंका : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन।

बालासूर्या, ए.एस. (2000ए), *वर्ल्ड पीस थ्रो स्कूल मैनस्क्रिप्ट* महारागामा, श्रीलंका : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन।

बालासूर्या, ए.एस. (2000बी), *मेडिऐशन प्रोसेस*, श्रीलंका।

यूनेस्को (2001), *लर्निंग द वे टू पीस–ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस,* नयी दिल्ली: यूनेस्को।

बे, टी.एम. और जी वाई टर्नर (1995), *मेकिंग स्कूल ए प्लेस ऑफ़ पीस,* लंदन : सेज।

ब्राउन, जी. (1971), *ह्यूमन टीचिंग फॉर ह्यूमन लर्निंग,* न्यूयार्क, वाइकिंग।

कैनफीड, जे. (1975), *101 वैज टू इनहांस सेल्फ-कंसेप्ट इन द क्लासरूम,* इंजेल क्लिफ्स: प्रेंटिस हॉल।

कॉटरिनो आब्राम्स, जी., *एजुकेशन फॉर पीस,* मियामी बीच।

डेलर्स, जे. (1996), *लर्निंग द ट्रेजर विदिन: रिपोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॅार द 21st संेचुरी,* पेरिस : यूनेस्को।

डेवी, जे. (1916), *डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन,* लंदन: दि फ्री प्रेस।

धांद, एच. (2000), *टीचिंग ह्यूमन राइट्स: ए हैंडबुक फॉर टीचर एजुकेशन,* भोपाल: एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन।

फाउंटेन, एस. (1999), *एजुकेशन फॉर पीस इन* यूनिसेफ़, न्यूयार्क: वर्किंग पेपर एजुकेशन सेक्सन, प्रोग्राम डिवीजन, यूनिसेफ।

फाउंटेन, एस. (1988), *लर्निंग टूगेदर - ग्लोबल एजुकेशन,* न्यूयार्क: स्टैनली थ्रोन्स पब्लिशर्स लिमिटेड, न्यूयार्क विश्वविद्यालय।

गालतुंग, जे. और डी. इकेडा (1995), चूज पीस, लंदन: प्लूटो प्रेस।

भारत सरकार (1949), *रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन (1948-49)*, नयी दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सरकार (1953) *रिपोर्ट ऑफ द सेकंडरी एजुकेशन कमीशन (1952-53),* नयी दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सरकार (1966), *रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964-66 ऑन "एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट",* नयी दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सरकार (1986), *रिपोर्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (1986),* नयी दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत सरकार (1993), *लर्निंग विदाउट बर्डेन,* नयी दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार।

हांडा, एम. एल. (1983), *मेनिफेस्टो फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड आर्डर: ए गांधियन पर्सपेक्टिव,* नयी दिल्ली: गांधी भवन।

हैरिस, आई.एम. (1988), *एजुकेशन फॅार पीस,* लंदन: मैकफारलैंड एंड कंपनी।

हैरिस, आई. और सी. मैकुले (2000), *रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एजुकेशन फॅार पीस,* इजरायल: हाइफा विश्वविद्यालय।

हरजोग, एस. (1982), *जॉय इन द क्लासरूम,* बोल्डर क्रीक, कैलिफोर्निया: यूनिवर्सिटी ऑफ द ट्री प्रेस।

हिक्स, डी. (1985), *एजुकेशन फॉर पीस: इश्यूज, डिलेमाज एंड अल्टरनेटिव्स,* लंकास्टर: सेंट मार्टिन कॉलेज।

हौडर और पी. प्रूजमैन (1988), *दी फ्रेंडली क्लासरूम फॅार ए स्मॉल प्लानेट,* प्रोग्राम फैलोशिप ऑफ रीकांसीलेशन, लंदन: न्यू सोसायटी पब्लिशर्स।

हचिंसन, एफ. पी. (1996), *एजुकेटिंग बियांड वॉयलेंट फ्यूचर्स,* लंदन : रूटलेज।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॅार डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल एसिस्टेंस (आई.डी.ई.ए.) (2003), *रीकंसीलेशन ऑफ्टर वॉयलेंट कंफ्लिक्ट : ए हैंडबुक,* स्वीडन : इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॅार डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल एसिस्टेंस।

जोसेफ, ए. और के. शर्मा (संपादकगण) (2003), *टेरर काउंटर-टेरर,* नयी दिल्ली : काली फॉर वुमेन।

क्रीडलर, डब्ल्यू. आई. (1991), *क्रियेटिव कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन: मोर दैन 200 एक्टिविटिज फॉर कीपिंग पीस इन द क्लासरूम,* फोरमैन, स्कॉट, ग्लेनवियू।

मारिया, डी. (2003), *'वैल्यू एजुकेशन फॉर पीस', द सी. टी. ई. जर्नल, 2(3): 25*

मास्लो, ए. एच. (1968), *टूवार्ड्स ए साइकोलोजी ऑफ़ बीइंग, 2e* वान नॉस्ट्रेंड रेनहॉल्फ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.इ.आर.टी.) 2000, *नेशनल कॅरिकुलम फ्रेमवर्क फॅार स्कूल एजुकेशन,* नयी दिल्ली: एन. सी. ई. आर. टी.।

ओकामोटो, एम. (1984), *पीस रिसर्च एंड एजुकेशन फॅार पीस: व्हाट इज एजुकेशन फॉर पीस इन द न्यूलाइट ऑफ पीस रिसर्च,* गांधी मार्ग, 6 (जुलाई अगस्त) 220

पांडे, एस. (2004), *एजुकेशन फॉर पीस: सेल्फ इंस्ट्रक्शनल पैकेज फॉर टीचर एजुकेटर्स।*

पाइक, जी. और डी. सेवी (1993), *ग्लोबल टीचर-ग्लोबल लर्नर: पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1999)।

रिआर्डो, बी. ए. (1997), *टॉलरेंस-द थ्रेस हॉल्ड ऑफ पीस,* पेरिस : यूनेस्को।

श्मिड्ट, एफ. और ए. फ्रीडमैन (1983), *क्रियेटिव कानफ्लिक्ट सॉल्विंग फॉर किड्स,* लंदन: स्टॉउघटन लिमिटेड।

यूनेस्को (1998), *लर्निंग टू लाइव टूगेदर इन पीस एडं हारमोनी,* ए यूनेस्को ए. पी. एन. आई. ई. वी. ई. सोर्स बुक फॉर टीचर एजुकेशन एंड टर्शियरी लेवल एजुकेशन, बैंकाक, थाइलैंड : यूनेस्को प्रिंसिपल रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड द पेसिफिक।

यूनेस्को (2001), *लर्निंग द वे ऑफ पीस, ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस,* नयी दिल्ली: यूनेस्को।

यूनिसेफ (1994), *आई ड्रीम ऑफ़ पीस,* न्यूयार्क : हार्पर कालिंस।

यूनिसेफ (1996), *एजुकेशन फ्रॉम कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन प्रोजेक्ट: फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द यू. के. कमेटी फॉर यूनिसेफ,* कोलम्बो, श्रीलंका: यूनिसेफ।